

संकेतः

संख्या-2839/67-क0श0अ0/05-400(79)/86 टी0सी0

प्रेषक,  
विनोद कुमार मलिक,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन \*

सेवा में,  
कुलपति,  
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय,  
कुमारगंज, फैजाबाद।

N-24/PA-ve Dt. 16-11-05

उपरोक्त पत्र संख्या 444/वी.सी./धेटनरी/शासन/04, दिनांक 17.12.04 एवं निदेशक, प्रशासन एवं  
परिचीक्षण के पत्र संख्या 2175/स्था0-6/2005 दिनांक 10.2.05 के संदर्भ में तथा शासनदेश संख्या  
2607/12-8-97-400(79)/86, दिनांक 15.10.97 तथा शासनदेश संख्या 2148/12-8-02-400(79) /86 टी.सी0, दिनांक  
03.4.03 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद में स्थापित पशु  
चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के अन्तर्गत वी.बी.एस.सी. एंड ए.एच. (पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन  
स्नातक) पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित 116 अस्थायी पदों को शासनदेश  
जारी होने की तिथि या इन पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.2.2005 तक  
सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त पद इसके पहले भी बिना पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये  
जायें। उक्त पदों का सृजन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। निम्न 116 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति निम्न  
शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

A.O.

संकेतः दिनांक: 07 नवम्बर 2005

विषय:- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन  
महाविद्यालय हेतु 116 पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 444/वी.सी./धेटनरी/शासन/04, दिनांक 17.12.04 एवं निदेशक, प्रशासन एवं  
परिचीक्षण के पत्र संख्या 2175/स्था0-6/2005 दिनांक 10.2.05 के संदर्भ में तथा शासनदेश संख्या  
2607/12-8-97-400(79)/86, दिनांक 15.10.97 तथा शासनदेश संख्या 2148/12-8-02-400(79) /86 टी.सी0, दिनांक  
03.4.03 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद में स्थापित पशु  
चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के अन्तर्गत वी.बी.एस.सी. एंड ए.एच. (पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन  
स्नातक) पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित 116 अस्थायी पदों को शासनदेश  
जारी होने की तिथि या इन पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.2.2005 तक  
सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त पद इसके पहले भी बिना पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये  
जायें। उक्त पदों का सृजन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। निम्न 116 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति निम्न  
शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	पदनाम	दैनिकमान	पदों की संख्या
1	प्राध्यापक	16400-450-22400	12
2	सह-प्राध्यापक	12000-420-18300	07
3	सहायक प्राध्यापक	8000-275-13500	13
4	प्रयोगशाला तकनीकी	4000-100-6000	09
5	प्रयोगशाला सहायक	3050-75-3950-80-4590	07
6	आशुलिपिक ग्रेड-2	4000-100-6000	12
7	लेखा लिपिक	4000-100-6000	13
8	टंकण लिपिक/भंडारक	3050-75-3950-80-4590	17
9	चालक/रजिस्ट्रीकरण सहायक	3050-75-3950-80-4590	03
10	पशु परिचर	2550-55-2560-60-3200	15
11	स्वीपर/अटेन्डेन्ट	2550-55-2560-60-3200	08
12		योग	116


(क) प्रोफेसर, एशोसियेट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, लैब टेक्निशियन, लैब असिस्टेंट के पदों को विश्वविद्यालय में लावू

- वेतनभोगी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को उनकी अर्हता के अनुसार समायोजित करते हुए भरा जायेगा।
- (ख) विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के लिए यदि किसी व्यक्ति भूमि अधिग्रहीत की गयी हो अथवा फलने में ली गयी हो तो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भू-रखा परिवार के एक व्यक्ति को उक्त पदों के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार नियुक्त किया जायेगा।
- (ग) उक्त पदों पर नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया, समय-समय पर जारी शासनदेशों/आरक्षण नियमों तथा कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के संगत प्रावधानों का पालन करते हुए किया जायेगा।
- (घ) कृषि विश्वविद्यालय का अनुदान वर्ष 1998-99 के स्तर पर फ्रीज है, अतः प्रश्नगत पदों पर निर्दिष्ट विश्वविद्यालय अपने योतों से यहन करेगा।
- 2- उक्त पदधारकों को समय-समय पर शासन द्वारा अनुमन्य मंजूनाई भत्ता व अन्य भत्ते आदि देय होंगे।
- 3- प्रश्नगत 116 पदों के सृजन के बाद तत्काल नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा पदों को भरने हेतु यथा-आवश्यक शासन/सहायक अधिकारी की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त की जायेगी।
- 4- उक्त मद में होने वाला व्यय चारू वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत लेखाधीनक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-120-अन्य संस्थाओं को सहायता-05-उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाता जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-1-477/दस-05, दिनांक 03.10.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।


संख्या: 2839 (1)/67-कशिअ-05-तददिनांक

भवदीय  
  
 ( विनोद कुमार मलिक )  
 विशेष सचिव ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महासंचालक, लेखा एवं हकदारी प्रथम, लेखा परीक्षा उ०प्र० इलाहाबाद
  2. प्रमुख सचिव, महामहिम, कुलाधिपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय, फैजाबाद, राजभवन लखनऊ।
  3. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
  4. महानिदेशक/सचिव भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
  5. महानिदेशक उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ।
  6. कृषि निदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
  7. निदेशिका, फैजाबाद।
  8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फैजाबाद।
  9. वित्त नियंत्रक कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
  10. सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद
  11. वित्त दण्ड अनुभाग- 1/2
  12. नियोजन विभाग/वित्त (ई) अनुभाग-1
  13. कृषि अनुभाग-5/पाई-बुक।

आज्ञा से,  
  
 ( विनोद कुमार मलिक )  
 विशेष सचिव ।

249



संख्या-1064/87-कृषि-15-400(79)/88 टी.सी.

प्रभक,  
सुरजन,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

*Dr. Sun*

*DAM/Dean, Vety Sci*  
*for my Comp*

सेवा में,  
कुलापति,  
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

*26.06.15*  
Vice-Chancellor

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2015

विषय:- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अंतर्गत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय हेतु शैक्षिक संवर्ग में अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

सपर्युक्त विषयक कुलापति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के पत्रांक-एन.डी.यू.ए.टी.-07/वेदनशी/2014/2022, दिनांक 01.12.2014 एवं निवेशक, प्रशासन एवं परीक्षणा के पत्रांक-07/सा.अधी./वेदनशी/सृजन/168, दिनांक 29.04.2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-2839/67-कृषि/05-400(79)/88 टी.सी. दिनांक 09.11.2005 के अर्थ में पुनः यह कृष्ण का निर्देश हुआ है कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में स्थापित पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के अंतर्गत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक पाठ्यक्रम के सुचारु रूप से संचालन हेतु श्री राज्यपाल महोदय शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 25 अस्थायी अतिरिक्त पदों को शासनादेश जारी होने की तिथि से दिनांक 29.02.2016 तक, यदि इसके पूर्व इन्हें समाप्त न कर दिया जाय, स्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या
1	प्राध्यापक	37400-87000, ग्रेड पे रू0-10000	01
2	सह-प्राध्यापक	37400-87000, ग्रेड पे रू0-9000	10
3	सहायक प्राध्यापक	15200-32100, ग्रेड पे रू0-6000	14
योग			25

2- उक्त शैक्षिक पदों पर भर्ती/नियुक्ति बी.सी.अर्बई, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता, मानक, शर्तों एवं प्रक्रिया, समय-समय पर जारी शासनादेशों/आरक्षण नियमों तथा उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम-1958 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हुये की जायेगी।

3- उपरोक्त पदों पर तैनात होने वाले कर्मियों को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि अनुमन्त्र होंगे।

व्यक्तिगत कार्यालय  
आपके कार्यालय  
दिनांक 26/6/15

4- कृषि विश्वविद्यालय का अनुदान फीज है। अतः उसे वर्तमान स्तर पर बनाये रखते हुये उसके 25 पदों को सृजन के कलचयक्रम इस पर आने वाले व्यय-भार विश्वविद्यालय अपने स्त्रोतों से व्यय करेगा।

5- विश्वविद्यालय अपने आय को इन्वेंशन बचाने के संयोज में गंभीर प्रयास करेंगे।

6- यह आशेष वित्त विभाग से आशासकीय सं०-ई-1-949/सम-15, दिनांक 24 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मधुदीय

2

( सुरजन )

संयुक्त सचिव।

सं०-1034(1)/87-कृषिअ-15, सचिवालय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3) सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 4) डाइरेक्टर (सी०२०आरवआई०) कृषि मंत्रालय, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 5) सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
- 6) उप महानिदेशक (प्रशिक्षण) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
- 7) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 8) महानिदेशक, कृषि अनुसंधान परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9) भण्डारतापुस्तक/जिज्ञासिका/कोषाधिकारी, फौजाबाद।
- 10) वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फौजाबाद।
- 11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1।
- 12) वित्त (वैतन) आयोग-1/2।
- 13) मन्त्री युक्त।

आज्ञा से,

( विनय शंकर पाण्डेय )  
अनु सचिव।





*Most Urgent*  
*J.V.V. Singh*

संख्या-1403/67-कृशिअ-16-400(79)/86 टी सी

*LDAN/AAOI & II/Dean, Vety S.*  
*Comptroller*

शिवराम त्रिपाठी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
कुलपति,  
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 26 अगस्त, 2016

विषय:- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अंतर्गत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय हेतु शैक्षिक संवर्ग में अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एन.डी.ए.टी.-07/स्था./2016/887, दिनांक 18.07.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-1064/67-कृशिअ-15-400(79)/86टी.सी. दिनांक 26.06.2015 द्वारा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अंतर्गत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय हेतु शैक्षिक संवर्ग में अतिरिक्त 25 पदों का सृजन इस शर्त के साथ किया गया था कि उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप इस पर आने वाला व्यय-भार विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से वहन करेगा। आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18.07.2016 द्वारा यह अवगत कराते हुए कि विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उक्त पदों को भरे जाने पर आने वाले व्यय-भार का वहन स्वयं के स्रोतों से कर सके, अतः उक्त पदों को शासकीय अनुदान के अंतर्गत नियमित पद के रूप में सृजन किये जाने का अनुरोध शासन से किया गया।

2- प्रश्नगत प्रकरण में सन्धक विचारोपरांत नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अंतर्गत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय हेतु उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26.06.2015 द्वारा शैक्षणिक संवर्ग के सृजित 25 पदों के संबंध में पूर्व निर्धारित इस शर्त कि इस पर आने वाला व्यय-भार विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से वहन करेगा, को संशोधित करते हुए अब उक्त पदों को राज्य अनुदान से आच्छादित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- प्रश्नगत प्रकरण में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान सं0-11 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-120-अन्य संस्थाओं को सहायता-08-उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहायता अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 26.06.2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

दिनांक 27-8-16

5- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय सं०-ई-1-403/दस-16, दिनांक 26 अगस्त, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

( शिवराम त्रिपाठी )  
संयुक्त सचिव।

सं०-1403(1)/67-कृषिअ-16, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्न लेखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, महामन्त्रिम श्री राज्यपाल, उ०प्र०, लखनऊ।
3. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. डाइरेक्टर (डी०ए०आर०आई०) कृषि मंत्रालय, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
6. उप महानिदेशक, (प्रशिक्षण) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
8. महानिदेशक, कृषि अनुसंधान परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
9. मण्डलार्युक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, फैजाबाद।
10. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1।
12. वित्त (वेतन) आयोग-1/2, ।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( शिवराम त्रिपाठी )  
संयुक्त सचिव।

संख्या-31/2018/1466/67-कृशिस-18-200(14)/17

प्रेषक,

बी०राम शास्त्री,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,  
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2018

विषय:- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत संचालित गृह विज्ञान, उद्यान एवं वानिकी, मत्स्य महाविद्यालय तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अम्बेडकर नगर के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के पत्र सं०-एनडीयूएटी 07/स्था०1/2017/387, दिनांक 24.05.2017 एवं पत्र सं०-एनडीयूएटी 07/स्था०1/2018/644, दिनांक 19.06.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का विदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत स्थापित गृह विज्ञान, उद्यान एवं वानिकी, मत्स्य महाविद्यालय तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अम्बेडकर नगर के संचालन हेतु निम्नानुसार शैक्षणिक/प्रशासनिक श्रेणी के 85 अस्थायी पदों को शासनादेश जारी होने की तिथि से दिनांक 28.02.2019 तक यदि इसके पूर्व इन्हें समाप्त न कर दिया जाये, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

गृह विज्ञान महाविद्यालय

क्र.स.	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	पदों की संख्या
1	प्राध्यापक	37400-67000 / 10000	03
2	सह-प्राध्यापक	37400-67000 / 9000	06
3	सहायक प्राध्यापक	15600-39000 / 6000	12
	योग		21

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://saradesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उद्योग एवं वानिकी महाविद्यालय

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान / ग्रेड पे	पदों की संख्या
1	प्राध्यापक	37400-67000 / 10000	03
2	सह-प्राध्यापक	37400-67000 / 9000	03
3	सहायक प्राध्यापक	15600-39100 / 6000	14
4	डीन	37400-67000 / 10000	01
योग			21

मत्स्य महाविद्यालय

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान / ग्रेड पे	पदों की संख्या
1	प्राध्यापक	37400-67000 / 10000	03
2	सह-प्राध्यापक	37400-67000 / 9000	06
3	सहायक प्राध्यापक	15600-39100 / 6000	11
4	डीन	37400-67000 / 10000	01
योग			21

श्री. शनिवारिका महाविद्यालय, अष्टबेडकर नगर

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान / ग्रेड पे	पदों की संख्या
1	प्राध्यापक	37400-67000 / 10000	03
2	सह-प्राध्यापक	37400-67000 / 9000	06
3	सहायक प्राध्यापक	15600-39100 / 6000	12
4	डीन	37400-67000 / 10000	01
योग			22

- 2- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित डीन के अस्थायी पदों को इस शर्त के साथ सृजित किया जाता है कि डीन के पदों पर भर्ती की कार्यवाही नहीं की जायेगी, बल्कि डीन पद का अंतरदासित्व सम्बन्धित संकाय/विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक द्वारा निर्वहन किया जायेगा।
- 3- उक्त पदों पर भर्ती आई.सी.ए.आर./ यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता, मानक शर्तों एवं प्रोफेसिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- 4- पदों पर भर्ती चरणबद्ध रूप से 50, 25 तथा 25 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी।
- 5- उपरोक्त सृजित पदों के चापेक्ष तैनाती शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर ही की जायेगी।
- 6- सम्बन्धित पदों पर भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- उपरोक्त पदों पर तैनाती होने वाले कर्मियों को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8- उपरोक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक- "2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-120-अन्य संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-414/दस-18, दिनांक 06 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

बी0 राम शस्त्री,  
विशेष सचिव।

सं0-31/2018/1466(1)/67-कृषिअ-18, तद्विनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ ।
- 3) सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 4) डाइरेक्टर (डी0ए0आर0आई0) कृषि मंत्रालय, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 5) उप महानिदेशक, (प्रशिक्षण) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
- 6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 7) महानिदेशक, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
- 8) कोषाधिकारी, फैजाबाद ।
- 9) वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।
- 10) मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, फैजाबाद ।
- 11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 ।
- 12) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 ।
- 13) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( राधेश्याम )  
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanacesb.p2.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



261

श्रीमान,  
निदेशक जनपद मुख्या  
विभाग लखनऊ,  
राज्य निर्देशक कार्यालय।

श्रीमान,  
कुलपति  
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

लखनऊ:दिनांक: 10 मई, 2013

विषय-कृषि एवं प्रौद्योगिक, विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अधीन जनपद गोण्डा में स्थापित मात्स्यकीय उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन के संबंध में।

संदर्भ

संदर्भित विषयक आपके पत्र संख्या-एनडीयूएटी-07/न्यू कालेज/2013/1965, दिनांक 20.02.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कृषि एवं प्रौद्योगिक, विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अधीन जनपद गोण्डा में स्थापित मात्स्यकीय उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक श्रेणी के निम्नलिखित 08 अस्थायी पदों को संश्लेषित करने के लिये नीचे से दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक, यदि इसके पूर्व इन्हें समाप्त न कर दिष्ट कार्य, सुचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान/ग्रेड पे	पदों की संख्या
1	रजि. निदेशक/सह प्राध्यापक	37400-67000/9000	01
2	सहायक प्राध्यापक/विषय वस्तु विशेषज्ञ	15600-39100/6000	03
3	प्रशिक्षण सहायक/तकनीकी सहायक	9300-34800/4200	02
4	उपनिदेशक सहायक	5200-20200/2400	02
योग			08

1- कमिन्ट लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर, जनरेटर आनरेटर/नलकूप चालक, परिचर, मछुआरा, शिक्षक आदि तथा कुछ का कार्य आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत स्टाफ में से स्थानांतरण के आदेश पर तथा आउट सोर्सिंग से कराया जाये।

2- उपरोक्त पदों पर भर्ती/चयन की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया, अनिवार्य अर्हता तथा आरक्षण संबंधी नियमों एवं शासनादेशों आदि का अनुपालन अनिवार्य रूप से करते हुये की जायेगी।

3- उपरोक्त पदों पर तैनात होने वाले कर्मियों को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा पैसे आदि अनुभव्य होंगे।

4- उपरोक्त पदों पर तैनात वाले व्यक्तियों चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान सं०-11 के अन्तर्गत सी.ए.ए.ए.ए. सं०-2-1-1-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-आमान्य-आयोजनेत्तर-120-अन्य संस्थाओं को

सहायता-05-उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद को सहायक अनुदान-2: जहायता  
अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), का-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा।  
8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-ई-1-262/दस-13, दिनांक 07 मई, 2013 में  
प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( निखिल चन्द्र शुक्ला )  
विशेष सचिव।

सं०- 752(1)/07-कृषिअ-11, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. डिप्टी सचिव (डी०ए०आर०आई०) कृषि मंत्रालय कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, कृषि भवन, न  
दिल्ली।
3. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भार  
संरकार, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ०प्र०, लखनऊ।
5. उपा महानिदेशक, (प्रशिक्षण) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
6. निदेशक, स्थानिय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
7. उपनिदेशक, फैजाबाद/महानिदेशक, कृषि अनुसंधान परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1।
9. वित्त (वेतन) आयोग-1/2,
10. आई नुक।

आज्ञा से,


( सुरजन )  
संयुक्त सचिव।

5966  
14-1-15

संख्या- 2/2015/2136/67-कृशिक्ष-14-1500(124)/12 टी.सी.-

प्रेषक,  
सुरजन,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

*TIME BOUND DAM*  
*Process quickly to*  
*take appointment from*  
*Academic Council, BOB*  
*and Govt. of UP*  
*as per the*



में,  
कुलपति,  
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लक्षणक: दिनांक 14-01-15  
12th Jan 2015  
Vice-Chance

विषय:- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना हेतु आवश्यक पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण के पत्रांक-1422, दिनांक 26.09.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कृषि एवं प्रौद्योगिक, विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) के संचालन हेतु प्रथम चरण में निम्नानुसार शैक्षणिक श्रेणी के 34 एवं गैर शैक्षणिक श्रेणी 08 अस्थायी पदों को शासनादेश जारी होने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक, यदि इसके पूर्व इन्हें समाप्त न कर दिये जायें, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

शैक्षणिक संवर्ग

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान/ग्रेड पे	पदों की संख्या
1	प्राध्यापक	37400-67000/10000	01
2	सह प्राध्यापक	37400-67000/9000	11
3	सहायक प्राध्यापक	15600-39100/6000	22
योग			34

*URGENT*  
*07/01/15*  
*OS*  
*Bose*  
*17/1/15*  
*DKM*  
*15-1-15*

गैरशैक्षणिक संवर्ग

क्र.सं.	पदनाम	भर्ती का स्रोत	वेतनमान/ग्रेड पे	पदों की संख्या
01	असिस्टेंट रजिस्ट्रार	सीधी भर्ती	15600-39100/5400	01
02	असिस्टेंट एकाउन्ट आफिसर	सीधी भर्ती	9300-34800/4600	01
03	कम्प्यूटर आपरेटर	आउट सोर्सिंग	5200-20200/2400	02
04	लाइब्रेरी असिस्टेंट	आउट सोर्सिंग	5200-20200/1900	01
05	सेल्फ असिस्टेंट	आउट सोर्सिंग	5200-20200/1800	01
06	अटेंडेन्ट	आउट सोर्सिंग	5200-20200/1800	02
योग				08

11111

- 2- शैक्षणिक पदों पर भर्ती आई.सी.ए.आर./यूजी.सी. द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता, मानक, शर्तों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये की जायेगी।
- 3- गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा संबंधित पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता, मानक, शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।
- 4- उपरोक्त सृजित पदों के सापेक्ष तैनाती शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर ही की जायेगी।
- 5- संबंधित पदों पर भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- उपरोक्त पदों पर तैनात होने वाले कार्मिकों को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत मुंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।
- 7- उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-"2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-आयोजनागत-80-सामान्य-120-अन्य संस्थाओं को सहायता" के अंतर्गत सुसंगत मद के नामे डाला जायेगा।
- 8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-ई-1-11/दस-15, दिनां 12 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भारतीय,

सुरजन  
संयुक्त सचि

सं०- 2/2015/2136(1)/67-कृषिअ-14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3) सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली/विश्वविद्यालय अनुदान आ भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 4) डाइरेक्टर (डी०ए०आर०आई०) कृषि मंत्रालय कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, कृषि नई दिल्ली।
- 5) उप महानिदेशक, (प्रशिक्षण) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
- 6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 7) महानिदेशक, कृषि अनुसंधान परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8) कोषाधिकारी, फैजाबाद।
- 9) वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
- 10) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, आजमगढ़।
- 11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1।
- 12) वित्त (वेतन) आयोग-1/2,
- 13) गार्ड बुक।

आह

( सु  
संयुक्त

# आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

## कृषि महाविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के पदों के सृजन/स्वीकृत का विवरण

क्र०सं०	पदनाम	विभाग	स्वीकृत पदों की संख्या	प्रबन्ध परिषद की बैठक संख्या व मद् संख्या	संलग्न पृष्ठ संख्या
1.	अधिष्ठाता	कृषि महाविद्यालय प्रशासन	01	6:02	
		-कुल पद	01		
2.	प्राध्यापक	शस्य विज्ञान विभाग	01	14:06	
3.	प्राध्यापक	जी०पी०बी०	01	10:4	
4.	प्राध्यापक	प्रसार शिक्षा	01	14:06	
5.	प्राध्यापक	पादप रोग	01	14:06,	
6.	प्राध्यापक	सूत्र कृमि विभाग	01	17:13	
7.	प्राध्यापक	कीट विज्ञान	01	14:06	
8.	प्राध्यापक	कृषि अर्थ शास्त्र	01	14:06	
9.	प्राध्यापक	फसल कार्याकी	01	17:13	
10.	प्राध्यापक	मृदा विज्ञान	01	8:16	
11.	प्राध्यापक	माइक्रो बायोलॉजी	01	17:13	
		कुल पद	10		
12.	सह प्राध्यापक	शस्य विज्ञान विभाग	01	18:20	
13.	सह प्राध्यापक	जी०पी०बी०	01	18:20	
14.	सह प्राध्यापक	प्रसार शिक्षा	02	14:06, 21:03	
15.	सह प्राध्यापक	पादप रोग	01	18:20	
16.	सह प्राध्यापक	कीट विज्ञान	01	21:03	
17.	सह प्राध्यापक	कृषि अर्थ शास्त्र	02	21:03, 43:17	
18.	सह प्राध्यापक	फसल कार्याकी	01	18:20	
19.	सह प्राध्यापक	मृदा विज्ञान	01	18:20	
20.	सह प्राध्यापक	कृषि सांख्यिकी	01	14:06	
21.	सह प्राध्यापक	कृषि मौसम	01	18:02 च	
22.	सह प्राध्यापक	बायोकेमेस्ट्री	02	18:20, 18:02 च	
		कुल पद	14		
23.	तकनीकी सहा०/सहा० प्राध्यापक	अधिष्ठाता कार्यालय	02	18:16	
24.	सहा० प्राध्यापक	भाषा विज्ञान	02	21:03	
25.	सहा० प्राध्यापक	शैक्षिक प्रक्षेत्र	01	26:11	
26.	सहा० प्राध्यापक	शस्य विज्ञान विभाग	02	26:11	
27.	सहा० प्राध्यापक	जी०पी०बी०	03	18:20	
28.	सहा० प्राध्यापक	पादप रोग	01	18:20	
29.	सहा० प्राध्यापक	कीट विज्ञान	02	26:11	
30.	सहा० प्राध्यापक	कृषि सांख्यिकी	01	18:02 च	
31.	सहा० प्राध्यापक	सूत्र कृमि विभाग	01	21:03	
32.	सहा० प्राध्यापक	कृषि अर्थशास्त्र	01	26:11	
33.	सहा० प्राध्यापक	फसल कार्याकी	01	18:20	
34.	सहा० प्राध्यापक	बायोकेमेस्ट्री	03	18:20, 21:03	
35.	सहा० प्राध्यापक	बायोटेक्नोलॉजी	04	21:03	
36.	सहा० प्राध्यापक	मृदा विज्ञान	01	18:20	
37.	सहा० प्राध्यापक	कृषि मौसम	01	21:03	
		कुल पद	26		
		महायोग	51		

2/11



नरेंद्र देव कृषि एवं प्रयोगिक विश्वविद्यालय, फतेहाबाद के प्रबन्धक  
ब्राई की कटवी बैठक की कार्यवाही ।

तिथि २२-४-१९७६  
समय ११ बजे पूर्वान्ह  
स्थान कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ  
की समा कदा ।

उपस्थिति

- |   |        |
|---|--------|
| १- श्री अम्बा देव पाण्डे,<br>कुलपति।  | समापति |
| २- श्री राम कृष्ण सिन्हा,<br>एमपी० ।  | सदस्य  |
| ३- श्री को रजो श्रीवास्त,<br>आयुक्त एवं सचिव,<br>उत्तर प्रदेश शासन,<br>कृषि विभाग । | सदस्य  |
| ४- श्री आर० के कालि,<br>आयुक्त एवं सचिव,<br>उत्तर प्रदेश शासन,<br>कृषि विभाग ।      | सदस्य  |
| ५- श्री हरिहर प्रसाद सिंह,<br>कृषि निदेशक,<br>उत्तर प्रदेश।                         | सदस्य  |
| ६- श्री एम० पी० रसोभारदाज,<br>पशुपालन निदेशक,<br>उत्तर प्रदेश ।                     | सदस्य  |
| ७- श्री आर० पी० रसोचौहान,<br>वित्त नियंत्रक,<br>कृषि विश्वविद्यालय,<br>फतेहाबाद ।   | सचिव   |

सक्री केरन प्रधान, विशेष सचिव, कृषि  
विभाग, ओ०एन० वैद; उप सचिव, वित्त विभाग तथा सुभाष चन्द्र  
अग्रवाल, उप सचिव, कृषि विभाग विशेष आर्मत्रण मर बैठक में  
उपस्थित रहे।

दिनांक २३ जनवरी, १९७६ एवं १६ मार्च, १९७६ को हुई क्रमशः कटवी  
एवं पांचवी विशेष बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।

गत चतुर्थ एवं पांचवी विशेष बैठक की कार्यवाही की  
पुष्टि की गई ।

दिनांक २३-१-१९७६ से अब तक हुई प्रगति की सूचना, नई नियुक्तियों  
की सूचना एवं उनका अनुमोदन ।

दिनांक २३-१-१९७६ से अब तक हुई प्रगति के प्रबन्धक

396

(४) डाहरेक्टर आफ एक्सपेरिमेंट स्टेशन के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि इस समय केवल डीन आफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति वेतनमान १६००-१८०० में इस प्रतिबन्ध के साथ करली जाय कि यदि चयन किये गये व्यक्ति का पूर्व वेतन उक्त वेतनमान से अधिक हो तो उसको पूर्व वेतनमान को कराकर ही विश्वविद्यालय में वेतन दे दिया जाय और उनका पूर्ववेतनमान व्यक्तिगत रूप में ग्रांटेक्ट रहे। यह भी निश्चय किया गया कि फिलहाल डीन आफ एग्रीकल्चर को ही डाहरेक्टर आफ एक्सपेरिमेंट स्टेशन के पद के कार्य सौंप दिये जाय।

यह भी निश्चय किया गया कि कृषि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, शोध एवं प्रशासकीय पदों के लिए वही अर्हतायें निर्धारित की जाय जो पन्तनार कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग या अन्य सरकारी विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने पदों के लिए निर्धारित की हो परन्तु उनके वेतनमान कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के अनुरूप रहे जाय।

आसक्त एवं सचिव, कृषि के सुफाव पर यह भी निश्चय किया गया कि मविष्य में नई नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्रगति पद के अन्तर्गत न दशकिय कार्य-सूची में एक नये पद के अन्तर्गत उल्लेख किया जाय। उनका यह भी सुफाव कि मविष्य में कार्यसूची-अनुमान प्रगति तैयार की जाय कि कौन सा प्रस्ताव किस पृष्ठ पर उल्लिखित है स्वीकार किया गया।

०६:३

वर्ष १९७५-७६ के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष १९७६-७७ के आय व्यय पर विचार एवं स्वीकृति।

विश्वविद्यालय के वर्ष १९७५-७६ के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष १९७६-७७ के आय व्यय अनुमानों पर बैठक में विचार हुआ तथा निम्न मर्दा पर चयन की स्वीकृति प्रदान की गई। इन अनुमानों में कुछ संशोधन की आवश्यकता उप सचिव, कृषि एवं वित्त तथा वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, की संस्तुतियाँ <sup>के अनुसार</sup> होगी, वह का विचार जमाय।

मद	पुनरीक्षित अनुमान १९७५-७६	आय व्यय अनुमान १९७६-७७
----	------------------------------	------------------------------

*Signature*

अतिथि-गृहों के प्रस्तावित नियमों एवं उनमें उल्लिखित  
ठहरने के किराये की निम्न दरों पर स्वीकृति प्रदान की गई।

- |  |                    |
|--|--------------------|
| (1) वी० आर्० पी० ग्रेट हाउस,<br>मसौदा। | ३-५० रु० प्रति दिन |
| (2) प्रसार प्रकाशना केन्द्र,<br>होना।  | १-०० रु० प्रति दिन |
| (3) अन्य अस्थायी अतिथि-गृह             | १-०० रु० प्रतिदिन  |

०६:५

विश्व विद्यालय के कार्यालय के लिए अतिरिक्त भवनों के किराये पर  
लिये जाने पर विचार एवं स्वीकृति।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की कृती हुई संस्थाओं की  
पुष्टिगत रखते हुए फाजाबाद में अतिरिक्त भवनों के किराये पर  
लिये जाने की मांग उचित समझी गई। अतएव विश्वविद्यालय के  
कार्यालय के प्रयोग के लिए फाजाबाद में २००० रु० प्रतिमास तक  
तक के भवनों के किराये पर लिये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध  
के साथ प्रदान की गई कि भवनों के कार्पिट ररिया का किराया  
एक रुपया प्रति फुट से अधिक न हो।

०६:६

विश्वविद्यालय के अतिथि व अधिकारियों की सुविधा के लिए  
शिविर कार्यालय हेतु लखनऊ में एक भवन का किराये पर लिये  
जाने पर विचार एवं स्वीकृति।

बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर सख्ति प्रकट की कि लखनऊ  
अतिथि व अधिकारियों की सुविधा के लिए एक शिविर कार्यालय  
हेतु एक भवन का किराये पर लिया जाना आवश्यक है। अतएव  
प्रयोजनाधीन लखनऊ में ४-५ कमरों का स्नानगृह एवं शौचालय नाम  
से सम्बन्ध १००० से १५०० रु० प्रतिमास की सीमा तक एक भवन  
को किराये पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उसकी  
साजसज्जा व टेलीफोन की व्यवस्था की भी स्वीकृति प्रदान  
की गई। कुलपति को अत्रिकृत किया गया कि स्वीकृत आय व्यय  
के अन्तर्गत साजसज्जा की व्यवस्था करे और वास्तविक व्यय प्रवर्तन  
बोर्ड को यथासमय सूचित करे।

उक्त की कार्य-वाही समाप्ति महोदय को अनुरोध  
देने के पश्चात् समाप्त है।  
(रघुपाल सिंह चौहान)  
विव. नियंत्रक। सचिव

(कुम्हार दत्त पाण्डे)  
कुलपति। समाप्ति।



नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजलाद के प्रबन्धक बोर्ड  
आठवीं बैठक की कार्यवाही

351

तिथि 27.11.1976  
समय 11.00 पूर्वार्ह  
स्थान कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का सभा कक्ष

उपस्थिति

सर्वश्री

- |  |        |
|--|--------|
| 1. अम्बा दत्त पाण्डे,  | सभापति |
| 2. कुलपति।   |        |
| 3. आर.के.सिन्हा,<br>साद सदस्य।   | सदस्य  |
| 4. के.एम.श्रीवास्तव,<br>आयुक्त एवं सचिव, उ.प्र. शासन,<br>कृषि विभाग।                                     | सदस्य  |
| 5. शशि भूषण सारन,<br>आयुक्त एवं सचिव, उ.प्र.शासन,<br>शिक्षा विभाग।                                       | सदस्य  |
| 6. के.एम.श्रीवास्तव,<br>उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,<br>वित्त विभाग,<br>(प्रतिनिधि आयुक्त एवं वित्त सचिव) | सदस्य  |
| 7. रघुपाल सिंह चौहान,<br>वित्त नियन्त्रक<br>नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक<br>विश्वविद्यालय, फैजलाद   | सचिव   |

श्री प्रताप सिंह, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
श्री के.पी.दुबे, चीफ टाउन एवं वन्द्री प्लानर एवं श्री दुलादीप सिंह, आर्टिस्ट  
नई दिल्ली विशेष आमंत्रण पर बैठक में उपस्थित रहे।

08:1 दिनांक 21.6.76 को हुई सातवीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

गत सात वीं बैठक की कार्यवाही सचिव ने पढ़कर सुनाई। तदुपरांत  
उक्त कार्यवाही की पुष्टि की गई।

08:2 दिनांक 21.6.76 से अब तक हुई प्रगति की सूचना

दिनांक 21.6.76 से अब तक हुई प्रगति से प्रबन्धक बोर्ड अवगत हुआ।  
बैठक में यह भी निश्चय लिया गया कि दुलाधिविती की अध्यक्षता में हुई कुलपति  
की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 24 श्रेण्याओं के अस्पताल का निर्माण  
विश्वविद्यालय स्वयं कर ले और बाद में व्याय की शासन से पूर्ति करा जाये।

अतएव पूर्व निर्धारित विवरण की अनुसंधान सीमा को 2000.00 से बढ़ाकर 2500.00 करने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि कारापेट सरिया के आधार पर एक स्तरा प्रति 500.00 से अधिक न

08: 13 विश्वविद्यालय का खाता दुमारागंज में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में खोले जाने पर स्वीकृति ।

विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को सीधे दुमारागंज से भुगतान दिए जाने के दृष्टिकोण से दुमारागंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक में विश्वविद्यालय द्वारा खाता खोले जाने का प्रस्ताव उचित समझा गया और प्रबन्धक बोर्ड द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

09: 14 विश्वविद्यालय की हस्तान्तरित शोध केंद्रों में चल रहे अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति ।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित शोध केंद्रों में चल रही वक्तिपर्य योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत अस्थायी पदों को विश्वविद्यालय हस्तान्तरित होने की तिथि तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी । उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन विश्वविद्यालय निधि से 1.7.76 से भुगतान किया जा रहा है । अतएव इन योजनाओं के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित सभी अस्थायी पदों को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत दिनांक 1.7.76 से सृजित दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

क्रमांक	योजना का नाम	पद का नाम	वेतनमान	पद की संख्या	व्यवस्था
(अ) ऊ.प्र. में धान अनुसंधान की सम्बन्धित योजनाएं। पैजालाद के लिए					
1.	शासनादेश सं० 3847/12-8-	चीफ पेडी वाटेनिस्ट	900-1600	1	स्व
2.	700(189)/76 दिनांक 25.8.76 के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत	सीड प्रोसेसिंग टेक्ना-लाजिस्ट	800-1450	1	स्व
3.		स्टेटिश्ियन	550-1200	1	स्व
4.		स्टाजन्ट्स आफिसर (साराजपन्नि)	350-700	1	स्व
5.		वरिष्ठ यन्त्रपति सहायक जर्नल	350-700	1	स्व
6.		प्रक्षेत्र अधीक्षक	350-700	1	स्व
7.		सहायक लेखाकार	250-425	1	स्व
8.		प्रधान लिपिक	280-450	1	स्व
9.		आशुलिपिक	250-425	1	स्व
10.		मशीन ट्रापरेटर	170-225	1	स्व
11.		पील्ड मैटेनिस	135-265	2	स्व
12.		अर्दली	165-215	2	स्व
13.		प्रयोगशाला परिचारक	165-215	2	स्व

\* विश्वविद्यालय के अन्तर्गत इस पद का नाम परिवर्तित कर लेखाकार रखा जाय ।



जहाँ तक चालू वर्ष 1976-77 एवं वर्ष 1977-78 की पूरा एवं मांगों के अन्तर्गत नए पदों का पूजन का प्रश्न है; निम्नलिखित नए पदों का पूजन की स्वीकृति प्रदान की गई है कि नए सृजित पदों पर बाय-दो लिस्ट विश्व-विद्यालय हेतु स्वीकृत बजट प्राविधान के अतिरिक्त कोई धन की मांग न की जाय।

वर्ष 1976-77 वर्ष 1977-78  
की पूरा एवं (नई मांग)

(क) कृषि विश्वविद्यालय

क्र.सं.	नाम पद	वेतनमान	वर्ष 1976-77 की पूरा एवं	वर्ष 1977-78 (नई मांग)
1	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पृदा विज्ञान विभाग	11500-1700	1 एक	—
2	प्राध्यापक सहायक	350-700	1 एक	—
3	आशुलिपिक	300-500	1 एक	—
4	ज्येष्ठ लिपिक	250-460	1 एक	—
5	प्रयोगशाला परिचर	165-215	1 एक	—

(ख) वित्त नियन्त्रक एवं अनुभाग

1	सहायक लेखा अधिकारी	450-950	—	—
2	इंटरनल आडीटर	350-700	—	—
3	जूनियर आडीटर	250-425	—	—

(ग) प्रक्षेत्र अनुभाग

1	प्रक्षेत्र अधीक्षक	350-700	—	—
2	सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	280-460	1 एक	—
3	भूमि संरक्षण निरीक्षक	280-460	1 एक	—
4	सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक	230-385	1 एक	—
5	परवाइजर वर्ग-3	230-385	—	—
6	स्टोर ऑपरेटर*	175-250	8 आठ	—
7	टयूबवेल ऑपरेटर**	175-250	—	5
8	बर्दई (लारपेन्टर)	230-385	—	—
9	लोक स्मिथ	230-385	—	—
10	जोतीदार	165-215	—	—
11	जूनियर पार्किंग इन्सपेक्टर	200-320	—	—
12	स्टोर कीपर	230-385	1 एक	—

(घ) उद्यान अनुभाग

1	सुपरवाइजर वर्ग-2	280-460	—	—
2	जूनियर हार्टीकल्चर चौधरी	170-225	—	—
3	माली	165-215	—	5

\* इन पदों पर नियुक्ति टेंडर्स क्रय हो जाने के पश्चात् की जाय।

\*\* इन पदों पर नियुक्ति नलकूप निर्माण होने के पश्चात् की जाय।

2. इलेक्ट्रीशियन	230-385	-	1	
3. मेकेनिक (डीजल)	230-385	-	1	
4. मोटर मेकेनिक	230-385	-	1	स्क
5. आर्टिजन	175-250	-	2	दो
6. जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल)	300-500	-	1	स्क

(ध) पुस्तकालय अनुभाग

1. लाइब्रेरी असिस्टेंट	230-385	-	2	दो
------------------------	---------	---	---	----

(ग) स्कॉटेशन अनुभाग

1. फोटोग्राफर	300-500	-	1	स्क
2. आर्टी डिप्लोमल अपरेटर	230-385	-	1	स्क

(च) जूट अनुसंधान केंद्र, बहराइच

प्रक्षेत्र अधीक्षक (ग्रेड-2)	280-460	-	1	स्क
------------------------------	---------	---	---	-----

(ख) धान अनुसंधान केंद्र, तिसूही (मिर्जापुर)

प्रक्षेत्र अधीक्षक (ग्रेड-3)	230-385	-	1	स्क
------------------------------	---------	---	---	-----

17 39

08:17 अन्य विषय सभापति की अनुमति से ।

कुलपति ने सुझाव दिया कि डा. तंशराज त्रिपाठी, जो डीन ऑफ एग्रीकल्चर के व्यक्त में द्वितीय उम्मीदवार (Alternate candidate) चले गए हैं, को इसी चयन के आधार पर एक पढ़ प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान का सृजन कर... नियुक्त कर लिया जाय क्योंकि प्रोफेसर त्रिपाठी एक विख्यात मृदा वैज्ञानिक हैं। उसर सुधार के कार्यक्रम में मृदा वैज्ञानिक की काम समय आवश्यकता रहती है और डा. के. एस. पी. मादक, हाइड्रोक्टर, स्टाफ सेलिक्टो रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बरनसत की समय समय पर राख लेना लठिन है। प्रोफेसर त्रिपाठी इस समय जो वैतनमान एवं वेतन पा रहे हैं वह भी सुरक्षित रखे जाएं। कुलपति के इस प्रस्ताव की स्वीकार किया गया।

कुलपति ने दूसरा प्रस्ताव यह भी रखा कि हायड्रोक्टर एफ. वल्लभ एण्ड प्लान्ट्स के पद के स्थान पर जैसा कि प्रमुख बोर्ड की दिनांक 22.4.76 को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या 2 में निर्णय लिया जा चुका है, विसी अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को नियुक्त कर लिया जाय। इस संदर्भ में श्री प्रताप सिंह, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जो संपन्न ही सेवा निवृत्त होने वाले हैं, को (Consultant/Advisor) के रूप में 150000 प्रतिमाह के मानदेय पर नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव दिया गया। निश्चय हुआ कि जब भी कुलपति यह समझें कि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में उनकी आवश्यकता है, नियुक्त कर लें। परन्तु श्री प्रताप सिंह को नियुक्ति तभी की जाय जब कि वे राज्य सरकार से अपनी नियुक्ति के विषय में आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लें।

(प्रमुख) सिंह चौहान

(अमिता) दत्त पांडे  
सभापति/कुलपति

305

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड की दसवीं बैठक की कार्यवाही ।

तिथि : 16-5-1977  
समय : प्रातः 11 बजे  
स्थान : कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का सभा कक्ष ।

उपस्थिति

- |  |        |
|--|--------|
| 1. श्री अम्बा दत्त पाण्डे<br>कुलपति ।  | सभापति |
| 2. श्री राम कृष्ण सिन्हा,<br>भू-संसद सदस्य ।                                       | सदस्य  |
| 3. श्री त्रिभुवन प्रसाद,<br>कृषि उत्पादन आयुक्त,<br>उ.प्र., लखनऊ ।                 | सदस्य  |
| 4. श्री एस.पी. पान्दे,<br>आयुक्त एवं सचिव,<br>उत्तर प्रदेश शासन,<br>शिक्षा विभाग । | सदस्य  |
| 5. श्री हरिहर प्रसाद सिंह,<br>कृषि निदेशक,<br>उत्तर प्रदेश ।                       | सदस्य  |
| 6. डा. रमण-बी. रतन-भारद्वाज,<br>निदेशक, पशुपालन विभाग,<br>लखनऊ ।                   | सदस्य  |
| 7. श्री रघुपाल सिंह चौहान,<br>वित्त नियंत्रक ।                                     | सचिव   |

श्री जे.एन. प्रधान, आयुक्त एवं सचिव, कृषि विभाग, डा. कीर्ति सिंह, कृषि अधिष्ठाता, श्री प्रताप सिंह, कन्सल्टन्ट एवं डा. एस.एस. श्रीवास्तव, विशेष कार्यधिकारी भी विशेष आमंत्रण पर बैठक में उपस्थित रहे ।

10:1 दिनांक 16-5-1977 को हुई दसवीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।

गत बैठक की कार्यवाही सचिव ने पढ़वाई सुनाई । तदुपरान्त गत कार्यवाही की पुष्टि की गई ।

10:2 गत बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही की सूचना ।

(क) प्रस्तुत कार्यवाही के विवरण से प्रबन्धक बोर्ड अवगत हुआ ।

शक न सुझाव दिया कि स्कूल/कॉलेज स्तर पर भी नर्सरी के लिए भी विशेष प्राविधान किया जाना चाहिए। प्रायुक्त ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय का अगले 15-20 वर्ष का Academic Plan तैयार किया जाय जिसमें उपरोक्त सुझावों के साथ साथ स्नातकोत्तर में कौन कौन से disciplines में कार्य शुरू करेंगे, कौन कौन विषय होंगे, कितने लड़के प्रत्येक वर्ष शोध में होंगे, कितने स्टाफ की आवश्यकता होगी, क्या क्या साज सजा सामग्री की आवश्यकता होगी, इन सब बातों का भी समावेश हो। उक्त तीनों सुझावों पर विचार विमर्श हुआ और निश्चय किया गया कि विश्वविद्यालय के कृषि अधिष्ठाता वांछित Academic Plan तैयार करें।

इस Academic Plan का प्रथम अंश (First draft) कृषि अधिष्ठाता तैयार करेंगे और उसकी जांच के लिए निम्न उप समिति का गठन किया गया जिसके संयोजक कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश होंगे।

1. पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के हाइड्रोक्टर आफ रिसर्च या उनका प्रतिनिधि।
2. कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के हाइड्रोक्टर आफ रिसर्च या उनका प्रतिनिधि।
3. फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय के डीन/हाइड्रोक्टर आफ रिसर्च।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

यह भी निश्चय किया गया कि उक्त Academic Plan के draft को उप समिति की संस्तुति के पश्चात् I.C.A.R. को भी दिखा लिया जाय।

(घ) अस्थायी कक्षाएं शुरू करने के प्रस्ताव से सम्बन्धित विषय पर यह निर्णय लिया गया कि स्नातकों में बढ़ी हुई वेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रथमतः विश्वविद्यालय में केवल शोध, प्रसार एवं स्नातकोत्तर शिक्षा का ही कार्य प्रारम्भ किया जाय और पढ़ाई का क्षेत्र सीमित विषयों में ही हो।

(च) हार्टीकल्चर एवं लेण्ड स्केपिंग के कार्य को सम्पादन कराने के लिए वित्त विभाग द्वारा सहमत किए गए निम्नलिखित पदों को सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

क्रमिक नाम पद	वेतनमान	संख्या
1. हार्टीकल्चर एवं लेण्ड स्केपिंग अधिकारी	800-1450	एक 4
2. एग्रीकल्चर प्रोफेसर, हार्टीकल्चर	800-1450	एक 4
3. उद्यान निरीक्षक	280-460	4 दो 4
4. हेड भाली	175-250	दो 4
5. भाली	165-215	दो 4

उपरोक्त संदर्भ में कृषि उत्पादन आयुक्त के सुझाव पर निर्णय लिया गया कि सृजित पदों के सम्बन्ध में job chart तैयार किया जाय। कृषि अधिष्ठाता ने बताया कि job chart तैयार कर लिया गया है और उसी के अनुसार पदों के लिए अर्हताएं निर्धारित की जा चुकी हैं।

गया कि श्री त्रिपाठी को सीधे 800-1450 के वेतनमान में नियुक्त किया जाना उचित न रहेगा क्योंकि उन्हें डबल जम्प दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः निर्णय लिया गया कि श्री श्याम नारायण त्रिपाठी को प्रशासन अधिकारी के पद पर स्वीकृत वेतनमान 800-1450 के स्थान पर वेतनमान 550-1200 में प्रतिनिधायन पर नियुक्त कर लिया जाय। प्रबन्धक बोर्ड की पूर्व स्वीकृत पदस्थिति के अनुसार श्री त्रिपाठी का वेतन नियमानुसार निर्धारित किया जाय।

चयन समितियों द्वारा अभ्यर्थियों को अग्रिम वेतनवृद्धियाँ देने की संस्तुति के विषय में निर्णय लिया गया कि नियुक्त अभ्यर्थियों को अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दिया जाना वहीं तक सीमित हो जहाँ तक कि चयन किए गए अभ्यर्थी का पूर्व मूल वेतन प्रोटेक्ट होता हो। मदरबोर्ड: 3 के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है, उनके वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में भी यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनका वेतन इसी सामान्य नीति द्वारा निर्धारित किया गया है।

10: 4 ३. धान अनुसंधान केन्द्र, मरीवा पर कतिपय पदों के नामों में परिवर्तन किए जाने पर विचार एवं स्वीकृति।

निम्न निर्णय लिया गया कि धान अनुसंधान केन्द्र, मरीवा पर इर समथ रिक्त बल रहे पदों को समर्पित surrender कर दिया जाय क्योंकि विश्वविद्यालय में इस समय इनकी कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती।

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान	संख्या
1.	चीफ वीटैनिस्ट (पेडी) II	900-1600	एक
2.	असिस्टेंट इकोनॉमिक वीटैनिस्ट (पेडी)	550-1200	एक
3.	सीनियर वीटैनीकल असिस्टेंट	350-700	एक (ग्यारह में से)

विश्वविद्यालय के कृषि अधिष्ठाता ने इस सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किए कि विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स एवं प्लान्ट ब्रीडिंग विभाग की सृजन स्थल का स्थापना, एवं वैजेटेबिल पर शोध कार्य किए जाने में निम्न पदों की परम आवश्यकता है।

क्रमांक	नाम पद	वेतनमान	संख्या
1.	प्रोफेसर आफ जेनेटिक्स एवं प्लान्ट ब्रीडिंग	1150-1700	एक ✓
2.	असिस्टेंट वैजेटेबिल ब्रीडर	550-1200	एक ✓
3.	रिसर्च असिस्टेंट (वेजेटेबिल)	350-700	एक ✓

कृषि अधिष्ठाता के प्रस्ताव पर काफ़ी विचार विमर्श उपरि उल्लेखित तीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रोफेसर आफ जेनेटिक्स एवं प्लान्ट ब्रीडिंग के पद पर यदि ऐसा कोई व्यक्ति चयन किया जाता है जिसका पूर्व वेतनमान प्रस्तावित वेतनमान से अधिक हो तो उसके पूर्व सम्बन्धित एवं वेतनमान सुनिश्चित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

10: 5 कृषि अधिष्ठाता को 300 रु. विशेष वेतन दिए जाने पर विचार एवं स्वीकृति।



कुलपति महोदय ने प्रबन्धक बोर्ड को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के अतिथियों एवं अधिकारियों की सुविधा के लिए एवं शिविर कार्यालय हेतु लखनऊ में गत वर्ष एक भवन (500 रु) प्रति मास के किराए पर लिया गया था। इसकी स्वीकृति 14/5/17 को समाप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय/कार्यों को शोप्रातिशीघ्र सम्पन्न कराने के लिए लखनऊ में उक्त अतिथि गृहकर्म-शिविर कार्यालय को एक वर्ष तक और रखना अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए प्रबन्धक बोर्ड ने उक्त अतिथि गृहकर्म-शिविर कार्यालय को शिविर कार्यालय को एक वर्ष तक और किराए पर लिए जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कि यह स्वीकृति अंतिम होगी। उसके पश्चात् कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

*R. A. Singh Chauhan*

(रघुपति सिंह चौहान)  
सहायक वित्त नियंत्रक

*A. D. Pande*

(आर. दत्त पाण्डे)  
सभापति एवं कुलपति



14: 3- उप-लेखा नियंत्रक के वेतनमान के पुनरीक्षण पर विचार स्वीकृति ।

विश्व विद्यालय की प्रबन्धक बोर्ड की बठवीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 2(4) को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर एवं पंतनगर कृषि विश्व-विद्यालयों की भांति इस कृषि विश्व विद्यालय के उप-लेखा नियंत्रक के पद का वर्तमान वेतनमान 650-1300 के स्थान पर नया वेतनमान 800-1450 स्वीकृत किया गया ।

14: 4- ज्ञान अनुसंधान केन्द्र तिसूही (मिर्जापुर), बालकन्दपुर (बहराइच) एवं अन्तःसंधान केन्द्र, घाघराघाट के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता दिया जाना ।

प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात उक्त तीनों शोध केन्द्रों पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी गणों को प्रतिकर भत्ता दिनांक 1-9-77 से निम्न दरों पर दिये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि प्रतिकर भत्ता केवल उन कर्मचारियों को दिया जाय जो शोध केन्द्रों पर वास्तव में आवास करते हैं ।

<u>क्रम संख्या</u>	<u>कर्मचारियों की श्रेणी</u>	<u>प्रतिकर भत्ता की दर</u>
1-	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	15 रु० प्रति माह
2-	तृतीय श्रेणी के कर्मचारी	30 रु० प्रति माह अथवा मूल वेतन का 10 प्रतिशत भाग जो भी कम हो ।
3-	श्रेणी 2 के अधिकारी	75 रु० प्रतिमाह अथवा मूल वेतन का 10 प्रतिशत भाग जो भी कम हो ।
4-	श्रेणी 1 के अधिकारी	100 रु० प्रतिमाह अथवा मूल वेतन का 10 प्रतिशत भाग जो भी कम हो ।

14: 5- विश्वविद्यालय अधिकारियों को विलीय अधिकारों का प्रतिनिधान किया जाना ।

यह विषय अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया । इस बीच में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में विभिन्न अधिकारियों को प्रतिनिधान किये गये अधिकारों की भी जानकारी प्राप्त की जाय और तदुपरान्त एक तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाय जिसे अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

14: 6- विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नये पदों के सृजन की स्वीकृति ।

प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात विश्वविद्यालय के स्वीकृत एकेडेमिक प्लान के आधार पर निम्न पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान

की गई—

क्रमांक	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1-	प्रोफेसर आफ एग्रोनामी ०	1	₹ 1150-1700 ✓	
2-	प्रोफेसर आफ प्लान्ट पैथोलोजी ०	1	₹ 1150-1700 ✓	
3-	प्रोफेसर आफ इन्टोमोलोजी ०	1	₹ 1150-1700 ✓	
4-	प्रोफेसर आफ एक्सटेंशन एजुकेशन ०	1	₹ 1150-1700 ✓	
5-	प्रोफेसर आफ एग्रिकल्चरल इकोनॉमिक्स ०	1	₹ 1150-1700 ✓	
6-	एसोसिएट प्रोफेसर आफ लारल ० सोसियलोजी	1	₹ 800-1450 ✓	
7-	एसोसिएट प्रोफेसर आफ एग्रिकल्चरल ० स्टेटिस्टिक्स	1	₹ 800-1450 ✓	
8-	रिसर्च असिस्टेंट (एग्रिकल्चरल इकोनॉमिक्स)	2 ✓	₹ 350-700	
9-	स्टेनोग्राफर / Typing + Printing + Mem	5 ✓	₹ 300-500	प्राध्यापकों हेतु
10-	वरिष्ठ लिपिक	1 2 ✓	₹ 280-460	वृषि संकाय हेतु
11-	पत्रवाहक	2 ✓	₹ 165-215	वृषि संकाय हेतु

उपरोक्त पदों के अतिरिक्त धान अनुसंधान केन्द्र मसौदा पर 1/10/77 से वेतनमान 175-250 में द्वाइवर के दो पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की गई ।

14:7 विश्वविद्यालय के अतिथि-गृहों के रखरखाव पर हुए व्यय की सूचना का प्रस्तुत किया जाना ।

विश्वविद्यालय के तीनों अतिथि-गृहों पर वर्ष 1975-76 एवं 1976-77 में हुए व्यय सम्बन्धी प्रस्तुत सूचना से प्रबन्धक बोर्ड अवगत हुआ । साथ ही साथ प्रबन्धक बोर्ड ने निम्न निर्णय भी लिए:—

1. धान अनुसंधान केन्द्र, मसौदा पर स्थित अर्थव्यवस्था विद्व. (धान) के पुराने निवासगृह की वरिष्ठ अधिकारियों एवं अतिथियों की सुविधा हेतु दिनांक 1-2-76 से वी.आर्.पी. अतिथि गृह में परिवर्तित किया जाना स्वीकृत किया गया ।
2. उपरोक्त अतिथि गृह के लिए उत्तर प्रदेश शासन के सरकित हाउस के स्तर की साजसज्जा की व्यवस्था हेतु ₹ 41,489-39 का वर्ष 1975-76 में एवं ₹ 12,198-90 का वर्ष 1976-77 में किया गया व्यय स्वीकृत किया गया ।
3. प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, डाभासेमर के अतिथि गृह के जनुरक्षण हेतु विश्वविद्यालय के बजट से वर्ष 1975-76 में ₹ 1200 एवं वर्ष 1976-77 में ₹ 5570-51 के व्यय को स्वीकृत किया गया ।

14:8 नई नियुक्तियों की सूचना एवं उनका अनुमोदन ।

कुलपति के आदेश संख्या 3715/व्यक्तिगत दिनांक 31-8-77 द्वारा श्री ओंकार नाथ त्रिपाठी, सर्वे तहसीलदार की सम्पत्ति अधिकारी के पद पर ₹ 550-1200 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि —

निश्चय किया गया कि जब वास्तुविद की वास्तविक आवश्यकता अनुभव हो, तब यह विषय प्रबन्धक बोर्ड के समक्ष लाया जाय।

14: 10 अन्य विषय, सभापति की आज्ञा से।

सभापति महोदय ने प्रस्ताव किया कि विश्वविद्यालय का एकेडेमिक प्लान जैसा कि विद्वत् परिषद (Academic Council) में आज की बैठक में अनुमोदित किया है, प्रबन्धक बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित किया जाय। प्रबन्धक बोर्ड ने उक्त एकेडेमिक प्लान का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया कि जहाँ कहीं भी उक्त प्लान के आधार पर प्रबन्धक बोर्ड की विशेष स्वीकृति आवश्यक हो, वह यथा समय ली जाती रहे।

बैठक की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् सभापति महोदय ने श्री जे.एन. प्रधान, आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि विभाग का फैजाबाद मण्डल के आयुक्त के पद पर स्थानान्तरित किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रबन्धक बोर्ड के कार्य कलापों में श्री प्रधान का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। उन्होंने सदैव अपने जम्हूय समय से कुछ समय निकाल कर प्रबन्धक बोर्ड की बैठकों में भाग लिया और अपने विचारों से प्रबन्धक बोर्ड को लाभान्वित किया। प्रबन्धक बोर्ड की ओर से सभापति महोदय ने आशा प्रकट की कि श्री प्रधान भविष्य में भी मण्डलीय आयुक्त रहते हुए भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में अपना योगदान देते रहेंगे।

श्री प्रधान के सराहनीय योगदान के लिए प्रबन्धक बोर्ड ने आभार प्रकट किया।

*(Handwritten signature)*

(रघुपाल सिंह चौहान)  
लेखा नियंत्रक/ सचिव

*(Handwritten signature)*  
15.12.77  
(डा. कीर्ति सिंह)  
बुलपति/सभापति



नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय, फैजाबाद के प्रमुख

बोर्ड की 17वीं बैठक की कार्यवाही ।

तिथि :

28.3.1978

समय :

सायंकाल 3.00 बजे

स्थान :

अतिथि-गृह मन्त्रिण  
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विद्यालय, फैजाबाद

उपस्थित

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | डा० अतर सिंह यादव<br>कुलपति ।  | सभापति |
| 2. | श्री एन० राजगोपाल,<br>आयुक्त एवं सचिव,<br>उत्तर प्रदेश शासन,<br>कृषि विभाग ।                                 | सदस्य  |
| 3. | श्री ओंकार नाथ वर्मा,<br>उपसचिव, वि. व. त्त<br>आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,<br>वित्त विभाग की ओर से । | सदस्य  |
| 4. | श्री हरिहर प्रसाद सिंह,<br>कृषि निदेशक,<br>उत्तर प्रदेश,<br>लखनऊ ।   | सदस्य  |
| 5. | डा० एम० बी० एन० भारद्वाज,<br>निदेशक पशुपालन विभाग,<br>उत्तर प्रदेश,<br>लखनऊ ।                                | सदस्य  |

नयासिंह

ड० काम

सहायक

डा० अतर सिंह  
की ओर से ।

कुलपति

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 6.  | डा० चन्द्रका प्रसाद,<br>सहायक महानिदेशक,<br>लीडी एन:<br>भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,<br>नई दिल्ली ।      | सदस्य |
| 7.  | श्रीमती शान्ता सिंह,<br>मुहल्ला कटरा,<br>बाराबंकी ।   | सदस्य |
| 8.  | डा० सन्त सिंह,<br>शाचार्य तथा विभाग-अध्यक्ष,<br>मृदा रसायन,<br>जनारत हिन्दू विश्वविद्यालय,<br>वाराणसी । | सदस्य |
| 9.  | श्री रामपाल वर्मा,<br>ब्लॉक प्रमुखा,<br>त्रिवेदीगंज,<br>बाराबंकी ।                                      | सदस्य |
| 10. | श्री चन्द्र कान्त सिंह<br>ग्राम व पोस्ट पंच देवरा,<br>जिला- गाजीपुर ।                                   | सदस्य |
| 11. | श्री रघुपाल सिंह चौहान,<br>लेखा नियंत्रक ।  | सचिव  |

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले सभापति महोदय ने प्रबन्धक बोर्ड के नये सदस्य डा० सी० प्रसाद, सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का स्वागत किया और उनका प्रबन्धक बोर्ड के अन्य सदस्यों से परिचय कराया । उन्होंने आशा व्यक्त की कि डा० प्रसाद ने विश्व-विद्यालय लाभान्वित हीगा ।

17:। गत 16वीं बैठक की कार्यवाही की पूर्णित ।

के बाय व्ययक प्रस्ताव आली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाँ। इस बीच में भवन निर्माण, अनाकर्षक व्यय एवं नई भदों पर व्यय छोड़कर अन्य भदों पर व्यय पूर्वक दिया जाता रहे। परन्तु यह प्रतिबन्ध शासन द्वारा स्वीकृत 93,38,000 रु० का अनुदान, जो वर्ष 1977-78 के अन्त में आहरित किया गया, मरगागू नहीं होगा।

17.12 नई नियुक्तियों के अनुदान पर विचार एवं स्वीकृति

विक्रविद्यालय द्वारा गिजत कान समिति की स संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए क्तेनमान 550-1200 में क्तिस्टेट प्लान्ट पैथोलोजिस्ट के रिक्त पद पर योग्यता के आधार पर निम्न अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने का अनुदान प्रदान किया गया।

1. डा० शिव कुमार सिंह चौहान
2. डा० जै प्रकाश शूक्ला

यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्धारित सामान्य नीति के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा अपने वर्तमान पद पर प्राप्त मूल क्तेन को सुरक्षित रखते हुए नियुक्ति-पद पर क्तेन निर्धारित किया जाय। यदि नवीन पद के क्तेनमान में पूर्वक प्राप्त क्तेन का समान कोई स्तर न जाता हो तो मूल क्तेन एवं नवीन पद के क्तेन के अन्तर को वैयक्तिक क्तेन देकर पूर्ण क्तेन स सुरक्षित किया जाय। परन्तु <sup>ने क्तेन</sup> क्तेन को भविष्य की क्तेन वृद्धियों में रलायोजित कर लिया जाय। अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल क्तेन की सूचना उनके वर्तमान सेवा योजक से प्राप्त होने के उपरान्त ही क्तेन निर्धारण किया जाय।

17.13 दृषि विद्यालय : College of Agriculture के लिए

कतिपय प्राध्यापकों के नये पदों के सृजन एवं उनके लिए अहताप

स्वीकृत किये जाने पर विचार एवं स्वीकृति ।

कृषि महाविद्यालय : College of Agriculture  
हेतु निम्न प्रस्तावित नये पदों के सृजन पर विचार विमर्श हुआ।  
निश्चय हुआ कि इस विषय पर विस्तार पूर्वक विचार अध्यापकों  
की एक उप समिति में किया जाय जो पदों की उपयुक्तता तथा  
उनके लिए निर्धारित अर्हताओं के सम्बन्ध में अपनी तंस्तुतियों की  
प्रस्तुत करें ।

क्र.सं.	नाम पद	संख्या
1.	Professor of Crop Physiology	One
2.	Professor of Horticulture	One
3.	Professor of Vegetable Science	One
4.	Professor of Nematology	One
5.	Professor of Agricultural Statistics	One
6.	Professor of Bio-Sciences	One
7.	Professor of Animal Science	One

उपरोक्त उप समिति का गठन निम्न प्रकार किया

गया :-

1. कृषि निदेशक, सदस्य  
उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ ।
2. निदेशक, पशुपालन, सदस्य  
उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ ।
3. डा० सी० प्रसाद सदस्य  
सहायक महा निदेशक,  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,  
नई दिल्ली ।

4. डा० लल्लू सिंह, सदस्य  
प्राचार्य तथा विभागाध्यक्ष,  
मृदा रसायन,  
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,  
वाराणसी .
5. डा० कीर्ति सिंह, सदस्य/संयोजक  
कृषि अतिष्ठता,  
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक,  
विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद ।

17:14 अन्य विषय

अन्त में सभापति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड को अज्ञात कराया कि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की लाइट के सम्बंध में शासन ने अब भी तब कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने डा० एम० एस० स्वामीनाथन महानिदेशक, भा० वृ० अ० परिषद नई दिल्ली को भेजे गये अपने पत्र तथा उसके उत्तर में प्राप्त डा० स्वामीनाथन के पत्र को बैठक में पढ़कर सुनाया। प्रबन्ध बोर्ड ने विश्वविद्यालय की मुख्यपरिसर की लाइट के सम्बंध में शीघ्र निर्णय लिये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय में विलम्ब होने से विश्वविद्यालय के विकास में अवरोध उत्पन्न हो गया है। यदि इस विषय पर निर्णय में देरी हुई तो विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य आगे टलते जायेंगे एवं शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हो सकेगी। अतः इस विषय में शीघ्र निर्णय लिये जाने के लिए शासन से अनुरोध किया जाय।

उपरोक्त प्रस्ताव की एक प्रति शासन को भी प्रेषित की जाय।

तत्पश्चात् सभापति महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

रघुपाल सिंह चौहान  
लेखा नियंत्रक/सचिव

शंकर सिंह यादव  
सुलपति/सभापति



34

17/11/78

APPENDIX - 'KA'

Proceedings of the meeting of the Sub-Committee of Board of Management held on 2.7.1978.

Present:

1. Sri H.P. Singh, Director of Agriculture, U.P.
2. Dr. C. Prasad, Asstt. Director General, I.C.A.R.
3. Dr. Sant Singh, Senior Professor & Head, Department of Soil Science, B.H.U., Varanasi.
4. Dr. Kirti Singh, Dean of Agriculture, N.D. University of Agriculture and Technology, Raizabad.

The Committee discussed the proposal for the creation of posts of Professors in various disciplines as per decision in the 17th meeting of the Board of Management held on 28.3.1978 and the following decisions were taken:

1. The Committee agreed that the following posts of Professors may be created:
  1. Professor of Animal Sciences
  2. Professor of Horticulture ✓
  3. Professor of Agricultural Engineering ✓
  4. Professor of Crop Physiology ✓
  5. Professor of Vegetable Science ✓
  6. Professor of Nematology ✓
  7. Professor of Soil Microbiology ✓
2. The Committee did not agree for the creation of posts of Professor of Agri. Statistics and Professor of Bio-Sciences at this stage. However, it was felt that a post of Associate Professor of Bio-Chemistry, Associate Professor of Bio-Physics and Assistant Professor of Mathematics should be created.
3. In view of the importance of algae in eastern U.P., it is essential to create a post of Research Officer (Algae) in the scale of Associate Professor as suggested and emphasised by Director of Agriculture, U.P. ✓
4. The qualifications proposed by the University for various posts of Professors were agreed subject to the conditions that U.G.C. norms with regard to percentage of marks must be looked into and included in the advertisement.

Sd/-  
( H.P. Singh )  
Director of Agriculture  
U.P., Lucknow.

Sd/-  
( C. Prasad )  
Asstt. Director General,  
I.C.A.R., New Delhi.

Sd/-

Sd/-  
( Kirti Singh )

304  
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक  
बोर्ड की 18वीं बैठक की कार्यवाही ।

तिथि : 3.7.78  
समय : प्रातः 10.30 बजे  
स्थान : सर्किट हाउस,  
फैजाबाद ।

उपस्थिति

- 1- डा० अतर सिंह यादव,  
कुलपति । सभपति
- 2- डा० एम० के० एल० भारद्वाज,  
निदेशक, पशु-पालन,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ । सदस्य
- 3- श्रीमती शान्ता सिंह,  
कटरा, बाराबंकी । सदस्य
- 4- डा० सन्त सिंह,  
आचार्य तथा विभागाध्यक्ष,  
मृदा रसायन,  
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,  
वाराणसी । सदस्य
- 5- श्री चन्द्र कान्त सिंह,  
ग्राम- पंचदेवरा, गाजीपुर । सदस्य
- 6- डा० चन्द्रका प्रसाद,  
एसिस्टेंट डाइरेक्टर जनरल,  
{सी०डी०एन०},  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,  
नई दिल्ली । सदस्य

-----2

218

the post of Junior Stenographer in the  
pay scale of Rs. 250-425 will be made by direct appointment  
only.

उक्त सूचना प्राप्त होने पर यह प्रस्ताव प्रबन्धक बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

18:18 अशापाक उल्लाह नगर कालोनी, फैजाबाद में उत्तर प्रदेश आवास

एवं विकास परिषद द्वारा बनये गये मकानों में से चार मकान क्रेय

किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव विचारोपरान्त अस्वीकृत किया गया । यह निर्णय लिया गया कि क्रय करने के बजाय, विश्वविद्यालय स्वयं मकान बनवाने की व्यवस्था करे ।

18:19 डा० कीर्ति सिंह, कृषि अधिष्ठाता के रु० 250/- प्रति माह विशेष

वेतन दिये जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर विचार ।

डा० कीर्ति सिंह, कृषि अधिष्ठाता को वेतनमान रु० 1500-2500 के साथ-साथ उनको रु० 250/- प्रतिमाह विशेष वेतन अथवा निःशुल्क असुसज्जित निवास स्थान दिये जाने पर प्रबन्धक बोर्ड ने सिद्धान्ततः अपनी स्वीकृति प्रदान की और यह भी निर्णय लिया कि उक्त विशेष वेतन का भुगतान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहमति के पश्चात् ही किया जाय । यह सुविधा विश्वविद्यालय के निदेशक, अनुसंधान एवं निदेशक प्रसार सेवा के लिए भी अनुमत्त होगी ।

✓ 18:20 कृषि महाविद्यालय हेतु नये पदों के सृजन पर विचार एवं स्वीकृति ।

यह उचित समझा गया कि कृषि विज्ञान के कुछ विषय जैसे स्वायल साईस, जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग, क्राप फिजियोलॉजी, प्लान्ट पैथोलॉजी, हार्टीकल्चर, वेजीटेबिल साइंस, एग्रोनॉमी, बायो साईस

(7) Recruitment to the post of Junior Stenographer in the pay scale of Rs. 250-425 will be made by direct appointment only.

308

की स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिए कृषि महाविद्यालय में निम्न लिखित पदों को यू.जी.सी. वेतनमान में सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :--

क्र.सं.	विभाग	पद	वेतनमान
1-	<u>स्वायल साइंस विभाग</u>		
1-		✓ एसोसिएट प्रोफेसर आफ स्वायल साइंस	1200-1900 ✓
2-		✓ असिस्टेंट प्रोफेसर आफ स्वायल साइंस	700-1600 ✓
3-		✓ असिस्टेंट प्रोफेसर आफ केमिस्ट्री	700-1600 ✓
4-		✓ लेब असिस्टेंट	200-320 ✓
2-	<u>जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग विभाग</u>		
✓ 1-		✓ एसोसिएट प्रोफेसर आफ जेनेटिक्स	1200-1900 ✓
✓ 2-		✓ असिस्टेंट प्रोफेसर आफ जेनेटिक्स	700-1600 ✓
✓ 3-		✓ असिस्टेंट प्रोफेसर आफ प्लान्ट ब्रीडिंग	700-1600 ✓
✓ 4-		✓ लेब असिस्टेंट	200-320 ✓
3-	<u>क्रॉप फिजियोलोजी विभाग</u>		
1-		✓ एसोसिएट प्रोफेसर आफ क्रॉप फिजियोलोजी	1200-1900 ✓
2-		✓ असिस्टेंट प्रोफेसर आफ क्रॉप फिजियोलोजी	700-1600 ✓
3-		✓ लेब असिस्टेंट	200-320 ✓
4-	<u>प्लान्ट पैथालोजी विभाग</u>		
1-		✓ एसोसिएट प्रोफेसर आफ प्लान्ट पैथालोजी	1200-1900 ✓
2-		✓ असिस्टेंट प्रोफेसर आफ प्लान्ट पैथालोजी	700-1600 ✓
3-		✓ लेब असिस्टेंट	200-320 ✓
5-	<u>हार्टीकल्चर विभाग</u>		
✓ 1-		✓ एसोसिएट प्रोफेसर आफ हार्टीकल्चर	1200-1900 ✓
✓ 2-		✓ असिस्टेंट प्रोफेसर आफ हार्टीकल्चर	700-1600 ✓
✓ 3-		✓ लेब असिस्टेंट	200-320 ✓

ch  
ar

(7) Recruitment to the post of Junior Stenographer in the pay scale of Rs. 250-425 will be made by direct holding necessary tests in accounts.

- |  |    |           |
|--|----|-----------|
| 1- एसोसिएट प्रोफेसर आफ वेजीटेबिल साइंस   | 14 | 1200-1900 |
| 2- असिस्टेंट प्रोफेसर आफ वेजीटेबिल साइंस | 14 | 700-1600  |
| 3- लेब असिस्टेंट                         | 14 | 200-320   |
| 7- एग्रोनामी विभाग                       |    |           |
| 1- एसोसिएट प्रोफेसर आफ एग्रोनामी         | 14 | 1200-1900 |
| 2- असिस्टेंट प्रोफेसर आफ एग्रोनामी       | 14 | 700-1600  |
| 3- लेब असिस्टेंट                         | 14 | 200-320   |
| 8- वायो साइंस विभाग                      |    |           |
| 1- एसोसिएट प्रोफेसर आफ वायोलॉजी          | 14 | 1200-1900 |
| 2- लेब असिस्टेंट                         | 14 | 200-320   |

18:21 विश्वविद्यालय की उत्तर भूमि के सुधारीकरण एवं अनुसंधान हेतु नये पदों के सृजन पर विचार एवं स्वीकृति ।

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत उपलब्ध उत्तर भूमि के सुधारीकरण एवं अनुसंधान हेतु यह उचित समझा गया कि इस कार्य हेतु कुछ कुशल वैज्ञानिक/कर्मचारियों की कमी में आवश्यकता है । अतः फसलों की लक्षण एवं क्षयर अवरोधी प्रजातियों पर दैहिक अध्ययन एवं उत्तर सुधार के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु प्रस्तावित पदों के विरुद्ध केवल निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई ।

- |   |    |          |
|---|----|----------|
| 1- असिस्टेंट क्राप फिजियोलॉजिस्ट          | 14 | 700-1600 |
| 2- प्रिंसिपल असिस्टेंट (क्राप फिजियोलॉजी) | 14 | 350-700  |
| 3- फील्ड अटेंडेंट                         | 14 | 165-215  |
| 4- लेब अटेंडेंट                           | 14 | 165-215  |

तत्पश्चात् समापित महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई ।

का.स. अली  
 {काजी सैयद अली}  
 लेखा नियंत्रक/सचिव

अ.स. यादव  
 {अतर सिंह यादव}  
 कुलपति/सभापति

(7) Recruitment to the post of Junior Stenographer in the pay scale of Rs. 250-425 will be made by direct appointment only.



नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विज्ञानविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड  
की 21वीं बैठक की कार्यवाही ।

तिथि : 31 जनवरी 1979  
समय : प्रातः 11-00 बजे  
स्थान : प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, डाभासेमर  
॥ फैजाबाद ॥

उपस्थिति :

1. डा० अर सिंह यादव, सभापति
2. श्री सैयद मेहदी हसन रिजवी, सदस्य  
कृषि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,  
कृषि विभाग, लखनऊ ।
3. श्री जे० पी० सिंह, सदस्य  
उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश  
शासन, लखनऊ । वित्त सचिव की ओर से ॥
4. डा० चन्द्रका प्रसाद, सदस्य  
सहायक निदेशक श्री.डी.एन. ॥  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5. डा० सन्त सिंह, सदस्य  
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,  
मृदा रसायन,  
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,  
वाराणसी ।
6. श्री श्रीराम विवेदी, सदस्य  
सदस्य, विधान सभा ।
7. श्री मधुवन सिंह, सदस्य  
सदस्य, विधान परिषद ।
8. डा० एम०बी० एल० भारद्वाज, सदस्य  
निदेशक, पशुपालन विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9. श्री चन्द्रकान्त सिंह, सदस्य  
पंच देवरा,  
गाजीपुर ।
10. श्री राम पाल कर्मा, सदस्य  
ब्लॉक प्रमुख,  
त्रिवेदीगंज वाराणसी ॥

11. श्रीमती शान्ता सिंह,  
कटरा, बाराबंकी । सदस्य
13. श्री काजी सैयद अली,  
लेखा निदेशक । सचिव

अन्य उपस्थित महानुभाव

13. डा० कीर्ति सिंह,  
कृषि अधिकाारी ।
14. श्री रमेश चन्द्र शर्मा,  
सहायक लेखाधिकारी ।

21:1 गत 20वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।

दिनांक 17 नवम्बर, 1978 को हुई गत 20वीं बैठक की कार्यवाही सचिव ने पढ़कर सुनाई । उप सचिव, वित्त ने उक्त कार्यवाही के प्रस्ताव संख्या 5 एवं 7 के सम्बन्ध में सभापति महोदय को अवगत कराया कि वित्त विभाग की ओर से गत बैठक में यह सूचना भेजी गयी थी कि उक्त दोनों प्रस्तावों के सम्बन्ध में विचार न किया जाय क्योंकि वित्त विभाग के प्रतिनिधि बैठक में भाग न ले सकेंगे । सभापति महोदय ने स्पष्ट किया कि सूचना विलम्ब से प्राप्त हुई थी चूँकि बैठक लखनऊ में हो रही थी और सूचना फैजाबाद भेजी गयी थी । परन्तु सभापति महोदय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर प्रबन्धक बोर्ड बाध्य नहीं हैं कि किसी प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जाय । फिर भी उप सचिव, वित्त के अनुरोध पर प्रबन्धक बोर्ड ने गत बैठक की कार्यवाही के प्रस्ताव सं० 5 का पुनरावलोकन ॥ Review ॥ किया और तदुपरान्त गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई ।

21:2 गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही की सूचना ।

प्रस्तुत सूचना से प्रबन्धक बोर्ड अवगत हुआ । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु पुनः निर्णय लिये गये :-

सं			
क्र			

ज- बाद अनुसन्धान केन्द्र, धारवाघाट § बहराइच § पर नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थूल जाने वाले बच्चों को जरूरत रोज करके गह्रधाने व लाने हेतु वि.वि.वि.द्वारा वाहन प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उक्त सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्धक बोर्ड भी सहमत है परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य में वाहन के प्रयोग किये जाने से केन्द्र के कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। वाहन का प्रयोग उन्हीं दरों पर किया जाय जो धान अनुसन्धान केन्द्र, मसौधा पर कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों के बच्चों के लिये पूर्व में निर्धारित की जा चुकी है।

§ 19:12 §

ट- शासन द्वारा वि.वि.वि.द्वारा को अस्थायी रूप से हस्तान्तरित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मसौधा के भवनों की मरम्मत आदि के सम्बन्ध में शासन की औपचारिक स्वीकृति हेतु पुनः अनुस्मारक पत्र भेजा जाय। यह मामला भविष्य में प्रबन्धक बोर्ड के समक्ष तभी लाया जाय जब कि स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रकट की जाय।

(19:19)

21:3 वि.वि.वि.द्वारा के अन्तर्गत नये पदों के सृजन पर विचार एवं स्वीकृति।

क- उष समिति की मूल एवं पूरक दोनों प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श हुआ। उष समिति द्वारा संस्तुत निम्न पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्रम सं०	नाम पद	सृजित पदों की सं०	वेतनमान (Rs)
1	Associate Professor of Agr. Economics	One	800-1450
2	Associate Professor of Extension Educ.	One	likely to be
3	Associate Professor of Agr. Engineering	One	revised to UGC
4	Associate Professor of Entomology	One	scale of Rs 1200-1900
5	Assistant Professor of Botany	One	550-1200
6	Assistant Professor of Microbiology	One	(likely to be
7	Assistant Professor of Physics	One	revised to UGC
8	Assistant Professor of Animal Science	One	scale of
9	Assistant Professor of Human Nutrition	One	Rs 700-1600
10	Assistant Professor of Nematology	One	
11	Assistant Professor of Languages (Hindi & English)	Two	
12	Assistant Professor of Agro-forestry (For next academic session starting from 1st July, 1979)	One	

28/5/21

21:14 वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सामान्य नीति निर्धारण ।

विकीर्ण सचिव, कृषि के सुझाव पर एक सामान्य नीति निर्धारित की गई कि भविष्य में किसी कर्मचारी को वेतन- निर्धारण कथम समिति की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धक बोर्ड की विविभाष्ट स्वीकृति के आधार पर ही किया जायगा । जिन मामलों में कुलपति निम्नलिखित अधिकारी हैं, उनमें कथम समिति की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए कुलपति के विविभाष्ट आदेश से कर्मचारी का वेतन निर्धारण किया जायगा ।

का.स. अली  
॥ जाज़ी मैयद अली ॥  
लेखा नियंत्रक / सचिव

अ.सिंह यादव  
॥ अतर-सिंह यादव ॥  
कुलपति / सभापति

20/5/21

रा.उ.यादव/8279

प्रेषण

राज्य सेवा पाठ्यक्रम,  
शु. सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

कुलपति,  
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यापीठ,  
कुशीनगर, बिहार ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

अनुसंधान दिनांक: 26 अक्टूबर, 2004

विषय:- विद्यापीठ में पूर्व तद्विषय पर कार्यरत कर्मियों/अधिकारियों के सेवा निवृत्त हो जाने अथवा अन्य कारणों से जाने के अनुरूप रिक्त हुए पदों को भरे जाने की स्वीकृति दिनांक 1/11/03

महोदयों

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं०-109/शासन/2003/सेवा-वीती, दिनांक 12-7-2003 तथा पत्र सं०-41 पीए-वीती/शासन/पद/03, दिनांक 30-8-2003 के संदर्भ में श्री बहकहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा तत्काल विद्यार्थीपरान्त नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यापीठ के अंतर्गत विभिन्न विभागों एवं विभिन्न तंत्रों के निम्नलिखित पदों को भरे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

क्र.सं०	पदनाम	पदों की संख्या
1-	सहायक प्राध्यापक, उद्यान	01
2-	सहायक प्राध्यापक, सीड टेक्नोलॉजी	01
3-	सहायक प्राध्यापक, सब्जी	01
4-	पुस्तकालयाध्यक्ष	01
5-	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01
6-	निदेशक, कृषि प्रयोग केंद्र	01
7-	प्राध्यापक, सब्जी विज्ञान विभाग	01
8-	प्राध्यापक, आइसोबायोलॉजी	01
9-	उपनिवेश एवं भूखण्ड अधिकारी	01
10-	प्राध्यापक, तन्त्र विज्ञान विभाग	01
11-	प्राध्यापक, कृषि फिजियोलॉजी	01
12-	प्राध्यापक, कीट विज्ञान	01
13-	प्राध्यापक, कृषि अर्थशास्त्र	01
14-	कृषि अधिष्ठाता	01
15-	प्राध्यापक, जी०पी०पी०	01
16-	प्राध्यापक, पोस्ट आर्बेट टेक्नोलॉजी	01



✓ 18-	तलायक प्राध्यापक, बायीकेमेरडी	02
✓ 19-	तलायक प्राध्यापक, कृषि अभियंत्रण	01
✓ 20-	तह-प्राध्यापक, कृषि अभियंत्रण	01
✓ 21-	तलायक प्राध्यापक, स्त्रीकारेण्टी	01
✓ 22-	तलायक प्राध्यापक, कृषि अभियंत्रण	02
✓ 23-	तलायक विदेशी, गोध	01
✓ 24-	तह-प्राध्यापक, पुतार शिक्षा	01
✓ 25-	तलायक प्राध्यापक, पुतार शिक्षा	01
✓ 26-	गोध अभियंत्रण, गोध	01
✓ 27-	तलायक प्राध्यापक, माइजीबाबोलीजी	02
✓ 28-	तलायक प्राध्यापक, पुतार गोधोलीजी	03
✓ 29-	तलायक प्राध्यापक, गुदा विभाग	02
✓ 30-	प्राध्यापक, मातृ विज्ञान विभाग	01
✓ 31-	विदेशी पुतार	01

कुल पद- 36

2- उक्त पदों पर चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण संबंधी निर्गत बातगा जैसी भी होगी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जावेगा।

3- व्यवस्था अनुसार पदों को भरे जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें।

भयदीप,  
 22  
 । राम रेखा बागडे ।  
 अनु सचिव ।

मप

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध-  
परिषद् की 26वीं बैठक की कार्यवाही।

तिथि :- 27.03.1980  
समय :- पूर्वान्ह 11.50 बजे  
स्थान :- कुलपति कक्ष

उपस्थिति :-

- |   |        |
|---|--------|
| 1. डा.0 अतर सिंह यादव,<br>कुलपति।   | सभापति |
| 2. श्री मधुवन सिंह,<br>सदस्य, विधान परिषद्।   | सदस्य  |
| 3. श्रीमती शान्ता सिंह,<br>महिला ऊटरा,<br>बाराबंकी।                                       | सदस्या |
| 4. श्री हरिहर प्रसाद सिंह,<br>कृषि निदेशक,<br>उत्तर प्रदेश।                               | सदस्य  |
| 5. डा.0 चिन्दका प्रसाद,<br>सहायक महा निदेशक,<br>भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्<br>नई दिल्ली। | सदस्य  |
| 6. श्री राम पाल वर्मा,<br>हलाक प्रमुख,<br>त्रिवेदीगंज, बाराबंकी।                          | जी चव  |
| 7. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी,<br>निपन्त्रक।   |        |

26। गत 25वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

दिनांक 31.12.79 को सम्पन्न प्रबन्ध-परिषद् की 25वीं बैठक की कार्यवाही की अतिरिक्त माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। डा.0 चिन्दका प्रसाद ने पूछा कि किसी बिन्दु पर किसी सदस्य की आपत्ति तो नहीं आयी। इस पर सभापति महोदय ने बताया कि अभी तक किसी सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं भेजी है। तदनन्तर कार्यवाही की पुष्टि की  
..... 2

264

1	2	3	4	5
7.	अभियन्त्रण	हेल्पर वाहन के रख-रखाव हेतु	2	165-215
8.	नेजा	अटेन्डेन्ट	2	"
9.	स्थापना	डाक रनर	2	" ✓
10.	वृत्तस्थाय	अटेन्डेन्ट	1	"
11.	निर्माण एवं संयंत्र	अटेन्डेन्ट	2	"
12.	मेट "	मेट	2	175-250
13.	कृषि महाविद्यालय	अटेन्डेन्ट	4	165-215

सूची

क्र.सं.	अनुभाग	पदनाम	पदों की सं.	कैलमान
1	2	3	4	5
1.	"रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट आफ राइस अपडर आल इण्डिया क्वार्टिन्टेड राइस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत सृजित पद "सीनियर ब्रीडर" के लिये सपोर्टिंग स्टाफ	आर्गुलि पक	1	300-500
2.	सद्वैव	अटेन्डेन्ट	1	165-215

प्रबन्ध-परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के Norms को तथा कार्यभार चार्ज नोट को ध्यान में रखते हुये आगे संस्तुतियों की जाय।

26:11 प्रबन्ध-परिषद् के प्रस्ताव संख्या 24:7 एवं 25:17 के अन्तर्गत गठित उपसमिति द्वारा संस्तुत नये पदों के नूजन पर विचार एवं स्वीकृति :-

उपसमिति की संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुये परिशिष्ट "क" में अंकित पदों के नूजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

परिशिष्ट - क

26.11.80  
27.12.1980  
262

क्र. सं.	विभाग का नाम	पद नाम	वैतनमान	पदों की सं.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	पुस्तकालय	1. पुस्तकालयाध्यक्ष	1500-2000	1	यह पद अप्रैल, 81 से पूर्व नहीं भरा जाये।
2.	कुलसचिव	1. सहायक कुलसचिव	550-1200	1	
		2. रिकार्ड कीपर	200-320	1	
		3. टाइपिस्ट { हिन्दी एवं अंग्रेजी }	200-320	1	
		4. मेसेन्जर	165-215	1	
3.	लेखा अनुभाग	1. सहायक लेखाकार	250-425	2	
		2. लेखा लिपिक	230-385	1	
4.	कृषि महाविद्यालय कार्यालय हेतु।	1. वैयक्तिक सहायक	400-600	1	
		2. स्ट्रेनोग्राफर { हिन्दी }	300-500	1	
		3. दफ्तरी	170-225	1	
		4. अटेन्डेंट	165-215	1	
		5. गैम्स अटेन्डेंट/हेल्पर	175-250	1	
		6. छात्रावास अटेन्डेंट	165-215	1	
		7. जमादार/स्वीपर	165-215	1	
		8. चौकीदार	165-215	1	
		9. साइकिल अटेन्डेंट	165-215	1	
5.	कृषि महाविद्यालय प्रयोगशाला हेतु।	1. लेब असि. नीमेटालोजी	200-320	1	
		2. लेब असि. { जायोकेमेस्ट्री }	200-320	1	
		3. लेब असिस्टेंट { इण्टोमालोजी }	200-320	1	
		4. लेब असिस्टेंट { एग्री. इन्जीनियरिंग }	200-320	1	
		5. लेब असिस्टेंट { एनीमल साइंस }	200-320	1	
		6. लेब असि. { भौतिक गणित/सांख्यिकी }	200-320	1	
		7. लेब असिस्टेंट { बाटनी विज्ञान }	200-320	1	
		8. लेब असिस्टेंट { जूलोजी }	200-320	1	
		9. लेब असिस्टेंट { इक्विन एजुकेशन }	200-320	1	

ETK

SPB  
Subal Singh

261

1	2	3	4	5	6
6	कृषि महाविद्यालय शिक्षण हेतु ।	1. एनोसिपट प्रोफेसर ॥ एनीमल साइंस ॥	1200-1900	1400	क्रमांक 1, 3, 5 पर अंकित पद
7		2. असि. प्रोफेसर ॥ एग्रोनामी ॥	700-1600	1	वर्ष 1981-82 से सृजित किये गये ।
		3. असि. प्रोफेसर ॥ एग्रो. इन्जीनियरिंग ॥	700-1600	1	
		4. असिस्टेंट प्रोफेसर ॥ इण्टामालीजी ॥	700-1600	1	X
		5. असिस्टेंट प्रोफेसर ॥ एग्रो. इका नामिक्स ॥	700-1600	1	X
		6. असिस्टेंट प्रोफेसर ॥ जूलोजी ॥	700-1600	1	
7	कृषि महाविद्यालय के शैक्षक फार्म एवं डैरी फार्म के लिए	1. असिस्टेंट प्रोफेसर ॥ शैक्षक फार्म ॥	700-1600	1	X
		2. फार्म सुपरवाइजर	300-500	1	X
		3. स्टोर कीपर	230-385	1	X
		4. क्लर्क/टाईपिस्ट	200-320	1	X
		5. असिस्टेंट एकाउण्टेंट	250-425	1	X
		6. मेसेन्जर	165-215	1	X
		7. हलवाहा	165-215	4	X
		8. चौकीदार	165-215	2	X
		9. ट्यूबवेल ऑपरेटर	170-225	1	X
		10. टैक्टर ड्राइवर	175-250	1	X
8	डैरी फार्म हेतु	1. असिस्टेंट प्रोफेसर ॥ शैक्षक डैरी फार्म ॥	700-1600	1	F. Approved 33/18
		2. डैरी सुपरवाइजर	300-500	1	X
		3. क्विकट फार्म सुपरवाइजर	300-500	1	X
		4. असि. एकाउण्टेंट	250-425	1	X
		5. स्टोर कीपर	230-385	1	T
		5. क्लर्क/टाईपिस्ट	200-320	1	T
		7. मेसेन्जर	165-215	1	T
		8. चौकीदार	165-215	2	T
		9. टैक्टर ड्राइवर	175-2150	1	T
		10. स्वीपर/जमादार	165-215	1	T
		11. ट्यूबवेल ऑपरेटर	170-225	1	T



263

26:23 विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के विषय में विचार एवं स्वीकृति :-

पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इसे भी परिचालनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाय ।

26:24 विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत वेतनमानों रु. 350-700 एवं 280-460 को पुनरीक्षित वेतनमानों रु. 700-1,300 एवं 500-850 के स्वीकृति हेतु :-

निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में पहले ही नद संख्या 26:4 के अन्तर्गत निर्णय लिया जा चुका है ।

26:25 विश्वविद्यालय के श्रेणी I, II के वैज्ञानिकों को सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के सम्बन्ध मगना जाना :-

निर्णय हुआ कि मामला पहले से ही उपसमिति के विचाराधीन है । अतः उपसमिति की संस्तुति की प्रतीक्षा की जाय ।

इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही सभापति महोदय के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई ।

27/11/2020  
अरुण सिंह यादव  
कुलपति/सभापति

एन०हरान

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विभवविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद् की 43वीं बैठक की कार्यवाही ।

तिथि : 20 अगस्त, 1983  
समय : प्रातः 11.00 बजे  
स्थान : कुलपति कार्यालय  
फसल अनुसंधान केन्द्र, मसौदा, फैजाबाद।

उपस्थिति:-

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | श्री गुलाम हुसैन, कुलपति   | सभापति |
| 2. | " दिलीप कुमार, आई. ए. एस.,<br>विशेष सचिव, वित्त विभाग, 30 प्र० शासन,<br>लखनऊ । | सदस्य  |
| 3. | डा० हरिहर प्रसाद सिंह,<br>कृषि निदेशक, 30 प्र० लखनऊ।                           | सदस्य  |
| 4. | डा० डी० एन० सुंद, निदेशक<br>पशुपालन विभाग, 30 प्र०, लखनऊ।                      | सदस्य  |
| 5. | " सन्त सिंह, प्रोफेसर इमेरिटस<br>वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।        | सदस्य  |
| 6. | श्री राम अवध, भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख<br>बोकापुर, फैजाबाद।                       | सदस्य  |
| 7. | श्रीमती मधुबाला निषाद<br>204, सिविल लाइन्स, फैजाबाद।                           | सचिव   |
| 8. | श्री के० सी० मिश्र, लेखा निष्पन्नक   |        |

43:1 गत 42वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि:-

प्रबन्ध परिषद् की 42वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी  
43:2 गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही

भाग--।

पिछली बैठक से पूर्व बैठकों में लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित:-

प्रक्षेत्रों की आय में वृद्धि तथा कार्यप्रणाली में सुधार हेतु प्रबन्ध प  
द्वारा गठित समिति की संस्तुति प्रस्तुत की गयी। निर्णय हुआ कि इसे  
बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जाये।

क्रमशः ---2



§ प § कुत्रिम गर्भाधान केन्द्र हेतु :-

क्रम सं०	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	सह प्राध्यापक § पशु प्रजनन§	एक	1200-1900
2.	वेटेनरी स्टाफ मैत्र	तीन	400-615
3.	लेब टेक्निशियन § कुत्रिम गर्भाधान§	एक	515-840
4.	बुल अटेंडेन्ट	तीन	305-395
5.	इवीपर	एक	305-395
6.	शौकीदार	एक	305-395

43/29 विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेतु नये पदों के सृजन पर विचार एवं स्वीकृति :-

विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेतु निम्नलिखित नये पदों के सृजन की स्वीकृति की गयी--

क्रम सं०	पद नाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक	550-1200 अपुनरीक्षित
2.	पुस्तकालय सहायक	एक	380-640 §
3.	लेखाकार	एक	570-1100 § पुनरीक्षित
4.	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	एक	354-550_§

तदोपरान्त सभापति को धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रबन्ध परिषद् की बैठक समाप्त हुई।

ह०

§ कृष्ण चन्द्र मिश्र §  
लेखा नियन्त्रक/सचिव प्र० परिषद्

ह०

§ गुलाम हुसैन §  
कुलपति/ सभापति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

पत्रांक- 3038/प्र०परि०/43वीं

दिनांक- 27/8/1983

प्रतिलिपि प्रबन्ध परिषद् के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

§ कृष्ण चन्द्र मिश्र §  
लेखा नियन्त्रक/सचिव  
प्रबन्ध परिषद्

311000

15

52वीं बैठक की कार्यवाही

27.7.1985

11.00 बजे पूर्वाह्न

कक्षा संख्या-80, सचिवालय, लखनऊ

दिनांक  
समय  
स्थान  
उपस्थिति

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1- | डा० कीर्ति सिंह, कुलपति                                 | अध्यक्ष        |
| 2- | श्री पी०सी० शर्मा, सचिव, उ०प्र०शासन, कृषि विभाग         | सदस्य          |
| 3- | डा० डी०शन०सूद, निदेशक पर्यायपालन, उ०प्र०, लखनऊ          | सदस्य          |
| 4- | श्री आर० आर० शर्मा, निदेशक कृषि, उ०प्र०, लखनऊ           | सदस्य          |
| 5- | श्री के०पी० सिंह, सदस्य विधान परिषद, उ०प्र०             | सदस्य          |
| 6- | श्री आर०डी०पाठक, संयुक्त सचिव, उ०प्र०शासन, कृषि विभाग   | विशेष आमन्त्री |
| 7- | श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव, उ०प्र०शासन, वित्त विभाग | विशेष आमन्त्री |
| 8- | श्री वी० जौहरी, वित्त नियन्त्रक                         | सचिव           |

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होते समय कुलपति ने श्री के०पी० सिंह, सदस्य, जिनका चुनाव विधान परिषद द्वारा इस विश्वविद्यालय के प्रबन्धा-परिषद के लिये किया गया है, का स्वागत किया और सभी सदस्यों से परिचय कराया। कुलपति/अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि उनके योगदान से अनुभव का लाभ विश्वविद्यालय के विकास में प्राप्त होता रहेगा। श्री के०पी० सिंह ने विश्वास दिलाया कि विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु वे सभी सम्भाव सहयोग प्रदान करेंगे।

53:1 गत 52वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि !

गत 52वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करते श्री प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव, उ०प्र०शासन, वित्त विभाग के अ०शा० पत्र संख्या-ई-1-1461/दस-1985, दिनांक 18.6.1985 को सचिव प्रबन्धा परिषद ने प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने 52वीं बैठक की कार्यवाही के मव संख्या-52:17 को संशोधित किये जाने का सुझाव दिया था। उपस्थित सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि 52वीं बैठक की कार्यवाही लिये गये निर्णयों के अनुरूप है। अतः उक्त कार्यवाही में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरान्त प्रबन्धा परिषद की 52वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।



(146)

53:20 विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेतु प्रस्तावित पदों पर विचार एवं स्वीकृति ।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेतु पुस्तकालय परिचर के दो पद वेतनमान ₹ 315-440 में वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी किन्तु इन पदों हेतु ध्यान की व्यवस्था पहले कर ली जाय ।

53:21 कृषि महाविद्यालय के उद्यान विभाग के पोस्ट-हारवेस्ट टेक्नालाजी प्रयोगशाला के सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित पदों के सृजन पर विचार एवं स्वीकृति ।

कृषि महाविद्यालय के उद्यान विभाग हेतु निम्नलिखित पदों के सृजन पर स्वीकृति प्रदान की गयी :-

क्रम नं०	पद नाम	पद संख्या	वेतनमान ₹ ०००
1.	पोस्टर आड पोस्ट हारवेस्ट टेक्नालाजी	एक 4	1500-2500
2.	लेव टेक्नीशियन	एक 4	470-735
3.	स्टोर कीपर	एक 4	400-615

53:22 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कैजाबाद के वाहन चालकी तथा चतुर्थी श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी से सम्बन्धित मामलों पर विचार एवं स्वीकृति ।

विश्वविद्यालय वाहन चालकों एवं अन्य चतुर्थी श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

क) विश्वविद्यालय वाहन चालकों एवं चतुर्थी श्रेणी कर्मचारियों को छाादी वर्दी अथावा छाादी के मूल्य के समकक्ष ही शासनादेश में निर्धारित धान की सीमा तक अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों से सूती कपड़ा क्रय करने पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

ख) विश्वविद्यालय सेवा में वीक्षा अवधि सीमा पूरी होने पर ही कर्मचारियों को वर्दी दी जाय ।

ग) शासन द्वारा वर्दियों के धान सीमा में वृद्धि किये जाने के अनुरूप विश्वविद्यालय में भी वृद्धि कर दी जाय ।

145

११११

3:23 विश्वविद्यालय के प्रवन्धा परिषद् के अद संख्या- 27:9 में कानूनी सलाहकार के लिये दिये जाने वाले मानदण्ड रु० 300/- के बढ़ाये जाने पर पुनर्विचार एवं स्वीकृति ।

विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार का मानदण्ड रु० 300/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु० 500/- प्रतिमाह दिये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

3:24 विश्वविद्यालय पुस्तकालय में पुस्तकालय सहायक के वेतनमान में संशोधन पर विचार एवं स्वीकृति ।

प्रवन्धा परिषद् की 43वीं बैठक में वृजित पुस्तकालय सहायक का पद जो वेतनमान रु० 300-640 में है, को वेतनमान रु० 400-615 में वृजित यानी जाय ।

*वीरेंद्र*  
||वीरेंद्र जोहरी||  
वित्त नियंत्रक/  
सचिव, प्रवन्धा परिषद्

*कीर्ति सिंह*  
||कीर्ति सिंह||  
कुलपति/अध्यक्ष  
प्रवन्धा परिषद्

*जोहरी*

नरेन्द्र देव कृष्ण एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कैलावाद-224001 {उ०प्र०}

पत्रांक 993 /ले०अ०/प्र०परि०/53वीं/05-06 दिनांक 29.7.1985

प्रतिलिपि प्रवन्धा परिषद् के समस्त सदस्यों को सूचनाार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

*वीरेंद्र*  
||वीरेंद्र जोहरी||  
वित्त-नियंत्रक/सचिव  
प्रवन्धा परिषद्

संख्या-2607/12-997-4008798/06



संख्या-2607/12-997-4008798/06

श्रीमान्  
श्री चन्दाजी  
तख्त  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में  
कुसम वि.  
कृषि एवं प्रायोगिक विद्यालय  
कुमारगंज, फैजाबाद

कृषि अनुभाग-8  
विषय:- मरम्मत देय कृषि एवं प्रायोगिक विद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अस्थायी पशु चिकित्सा एवं पर्याप्त मठा विद्यालय की स्थापना।  
संख्या: दिनांक 15 अक्टूबर, 1997

V.C. 16/10/97  
16/10/97

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आप के पत्रांक 2012/ती-1/97/पीड-पीटी, दिनांक 26 अगस्त 1997 के संदर्भ में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं कि राज्यपाल महोदय विद्यालय का 1997-98 से कृषि विद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के परिसर में ही पशु चिकित्सा विद्यालय एवं पर्याप्त मठा विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते हुए इस मठा विद्यालय में 60 की प्रवेश क्षमता से पीछे पीछे-तीठ और एचएचए। पशु चिकित्सा विद्यालय और पर्याप्त मठा विद्यालय का स्थापना कार्यक्रम प्रारम्भ पर शासन की अनापत्ति सूचित करते हैं।

2- पुनः राज्यपाल महोदय उक्त कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिये प्रस्ताव विस्तारित वर्ष 1997-98 में संलग्न तालिका में अंकित 48 अस्थायी पदों के रूप में शासन की अनापत्ति सूचित करते हैं।

3- राज्यपाल महोदय विस्तारित वर्ष 1997-98 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार रुपये 85,00,000। रुपये पयाती माह मात्र। का अनुमान पशु चिकित्सा विद्यालय एवं पर्याप्त मठा विद्यालय की स्थापना के संबंध में कृषि विद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद को स्वीकृत करने की तृतीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

घनराशि रुपये।

1-	वेतन एवं भत्ते	25,00,000
2-	प्रयोगशाला, उपकरण एवं ताप तण्डल	50,00,000
3-	कैम्पस एवं गतासवेपु	10,00,000
कुल योग-		85,00,000

रुपये पयाती माह मात्र।

10/10/97

No. 11005  
1/10/97  
10/10/97

4- ताप सप्या/उपकरण आदि का प्रथम नियमानुसार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से तासूत्री की प्राथमिकता निर्धारित कर आवश्यकता-नुसार किया जायेगा ।

5- विरतीम नियम संग्रह संख्या-5 भाग-1 के अध्याय-सोतह-1 के नियम हत अनुदान पर लागू होने तथा हत संख्या में विरतीम लेखा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राशियां संख्या-1238/10-15111/63, दिनांक 17-1-79 में उल्लिखित निर्देशों तथा आदेश संख्या-4-2364/10-15111/63, दिनांक 17-1-79 में अनुमोदित नियमानुसारी कार्यालयन किया जायेगा ।

6- हत मद्-पर होने वाला व्यय विरतीम वर्ष 1997-98 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-11 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2415-कृषि अनुभाग और विधान प्रामोचना-80-सा मा-120-अभ्य-संस्थाओं को तहायता-00-3090 कृषि विधायिनालय केजाबाद को पशु चिकित्सा विभाग तथा पशुपालन महाविद्यालय की स्थापना हेतु तहायक अनुदान-20-तहायक अनुदान/आदान/राज तहायता के नाम डाला जायेगा ।

7- यह आदेश विरती विभाग के असातवीय संख्या-ई-1/1376/दल-97, दिनांक 15-10-97 में प्रामो उक्त तहसति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

। ये 0 मन्त्रालय ।

सचिव ।

संख्या-2607 11/12-8-97-4001791/86, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना के रूप में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा महकदारों प्रथम/लेखा परीक्षा प्रथम 3090 प्रशाखाबाद ।
- 2- महा निदेशक भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, मद्रास, दिल्ली ।
- 3- महा निदेशक भारतीय कृषि अनुभाग परिषद, मद्रास, दिल्ली ।
- 4- निदेशक, पशुपालन, 3090 मद्रास ।
- 5- कोषाधिकारी, केजाबाद ।
- 6- विरतीम अभ्य-निर्माण, अनुभाग-1 ।
- 7- कृषि अनुभाग-7 ।
- 8- नियोजन अनुभाग-3 ।
- 9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 3090 प्रशाखाबाद ।
- 10- सचिव, कुमा विपति, 3090 मद्रास ।
- 11- कृषि निदेशक, 3090 मद्रास ।
- 12- तहायक निदेशक तहायती तहायती, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, कृषि विधायिनालय, कुमारगंज, केजाबाद ।

आधा है


। प्रगन्ताय तिवारी ।

आमनादेश संख्या- 2607 /12-8-97-4001791/86, दिनांक 15 अक्टूबर, 1997

गोन्ड देव श्रद्धा रत्न प्रौद्योगिक विद्यापीठ, कुशारगंज, कल्याण के  
संलग्न परतु विवरता विज्ञापन एवं परतुपालन महाविद्यालय की स्थापना में विज्ञापन  
वर्ष 1997-98 में स्वीकृत पदों का विवरण ।

क्र.सं.	पदनाम	वेतनस्तर।रु।	पदों की संख्या
1-	प्रोफेसर	4500-7300	3
2-	असोसिएट प्रोफेसर	3700-5700	8
3-	सहायक प्रोफेसर	2200-4000	12
4-	सि. डेप्युटी प्रिंसिपल	1200-2040	6
5-	सि. अतिस्टेंट	950-1500	6
6-	टैकनॉलॉजिस्ट/टीपर	750-1500	2
7-	परतु परीक्षक	750-140	8
8-	रजिस्ट्रार/अडिटर	750-140	5

कुल पद 45

  
। जगन्नाथ गिबारी ।  
अनु तपिष ।



2003

NO-2148/12-8-2002-400/79/8601/110

प्रेषण,

जी०आर०ब०रूआ,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

288  
NE 47  
19/4/03

सेवा में,

कुलपति,  
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,  
कुमारगंज, फैजाबाद ।

19/4/03

अनुभाग :

लघनक्र. दिनांक: 08 अप्रैल, 2003

वि.प्र. - नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय हेतु पदों के सृजन के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक कुलपति, कृषि, विश्वविद्यालय, फैजाबाद के पत्र सं. या-1134 स्था०/2001, दिनांक 18 जनवरी, 2001 के संदर्भ में भूरे यह कहने का निर्देश प्राप्त है कि श्री राज्यपाल महोदय नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय हेतु अतिरिक्त पारिशिष्ट में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के 21 संस्थापक पदों को पारितोषिक जारी होने की तिथि से सृजित करने की राहर्ष स्विकृति प्रदान कर रहे हैं।

स्था०-1  
19.4.03  
दि० 19/4/03

2- उक्त पद धारकों को समय-समय पर शासन द्वारा स्थापित भत्ता भत्ता, अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।

3- उक्त पदों को भरे जाने के संबंध में संबंधित पदों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा समय-समय पर जारी आदेशों/नियमों का पालन किया जायेगा।

4- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आध-व्ययक को अनुदान सं०-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा - आयोजनेत्तर-80-सामान्य-120-अन्य संस्थाओं को सहायता-08-उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ड-2/1377  
2002, दिनांक-7-4-2003 में प्राप्त उनको महमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि।  
=====

जी० आर० बरुआ  
सचिव

सं०-2148111/12-3-2002- 4001791/86सी० तदु दिनांक ।  
=====

- 111 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु देना है:  
महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम, लेखा परीक्षा, प्रथम, उत्तर प्रदेश।
- 112 झलाहबाद ।
- 121 महा निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली ।
- 131 महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।
- 141 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश झलाहबाद ।
- 151 महा निदेशक, उत्तरप्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
- 161 निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 171 निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 101 प्रमुख सचिव, महा० कुलाधिपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्या-  
विद्यालय, फैजाबाद। राज भवन, लखनऊ ।
- 193 महायग निदेशक, सह्यती सम्मरीक्षा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा  
विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।
- 1101 कोषाधिकारी, फैजाबाद ।
- 1111 नियोजन अनुभाग-1/वित्त।भाग-निर्देशन। अनुभाग-1/वित्त।संयोजन।  
अनुभाग-1, 2/कृषि अनुभाग-7/गार्ड बुक ।


आदेश है,

जी० आर० बरुआ  
सचिव

शासनादेश संख्या -2148/12-8-2002-400179/86टी0सी0, दिनांक 08-4-2005  
 डॉ. नरेन्द्र देव कृष्ण स्वयं प्रयोगिक विश्वविद्यालय, कुशाग्रज, पैगाबाद के अन्तर्गत  
 पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय हेतु सृजित पदों का विवरण:-

क्रमांक	पदनाम	पदोंकी सं	वेतनमान
1-	प्रोफेसर	एक पद	16400-22400 रु0
2-	असिस्टेंट प्रोफेसर	आठ पद	8000-13500 रु0
3-	प्रयोगशाला तकनीकी	दो पद	4000-6000 रु0
4-	प्रयोगशाला सहायक	दो पद	3050-4590 रु0
5-	कम्प्यूटर टंकण	दो पद	4590 निश्चिन्ता से भरे जायेंगे
6-	आधुनिक डिप्लोम हेतु	एक पद	6000 " संविदा से भरे जायेंगे
7-	लेखा लिपिक	एक पद	6000 " संविदा से भरे जायेंगे
8-	पशु परिचर	चार पद	3200 " संविदा से भरे जायेंगे
	कुल पद	द्विकीस पद	

नोट- उपर्युक्त क्रमांक-5, 6, 7 एवं 8 पर द्वापि गये पद संविदा से भरे जायेंगे।

  
 J. O. B. J.  
 सचिव